



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2018-19)



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2018-19

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

पृष्ठ सं०

विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	4
03 मंत्रिपरिषद्	7
04 न्याय प्रशासन	10
05 निर्वाचन	16
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	19
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	28
08 आबकारी	53
09 लोक सेवा आयोग	55
10 पुलिस एवं जेल	57
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	65
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	93
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	106
14 सूचना	116
15 कल्याण योजनाएं	121
16 श्रम और रोजगार	137
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	142
18 सहकारिता	152
19 ग्राम्य विकास	155
20 सिंचाई एवं बाढ़	163
21 ऊर्जा	174
22 लोक निर्माण कार्य	178
23 उद्योग	187
24 परिवहन	195
25 खाद्य	201
26 पर्यटन	206
27 वन	209
28 पशुपालन संबंधी कार्य	217
29 औद्योगिक विकास	223
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	229
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	246

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2018-2019 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई	263
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण	264
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग	266
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग	267
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग	268

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2018-2019 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं ।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है ।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं ।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

(अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो ।

(ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो ।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

(अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है ।

(ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियाँ ।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(₹ हजार में)			
01. विधान सभा				
दत्तमत	72,34,35	31,50,00	69,15,19	31,45,00
भारित	2,61,32	--	2,21,88	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	12,52,95	--	9,37,41	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	76,71,59	65,00,00	64,46,14	54,55,97
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	2,07,64,85	45,10,00	1,67,91,61	40,45,78
भारित	53,76,42	--	35,67,28	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	46,88,29	10,00,00	35,92,92	9,99,93
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	12,34,40,67	4,42,75,03	8,61,86,63	1,70,23,97
भारित	2,19,31	--	2,13,46	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं				
दत्तमत	84,39,99,02	3,28,12,73	77,42,29,83	1,67,78,70
भारित	51,74,62,33	31,82,00,00	44,75,32,44	1,02,30,14,40
08. आबकारी				
दत्तमत	29,35,50	--	26,23,60	--
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	16,15,44	2,00,00	15,34,62	2,00,00
भारित	29,12,01	1,00,00	17,34,80	14,98
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	19,38,77,78	23,22,01	18,33,47,98	18,58,80
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	76,09,74,26	2,97,93,39	70,67,32,74	1,42,79,43
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	22,22,90,42	2,29,80,07	17,26,45,40	1,87,40,30
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	7,05,07,26	11,15,16,99	5,61,53,00	5,97,86,24
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	1,27,74,27	1,00,01	1,18,82,51	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनाएं				
दत्तमत	17,09,43,24	80,29,05	13,41,82,98	37,87,12
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	3,68,17,83	14,00,22	2,21,60,48	10,95,96
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत	11,37,96,89	1,39,87,31	9,68,12,47	1,33,43,44
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	94,43,67	4,68,20	77,97,98	3,13,59
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	10,04,00,58	15,07,16,27	7,98,09,17	15,09,95,73
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	5,00,17,70	4,68,19,59	4,27,96,45	3,65,92,26
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	13,23,86	3,17,30,06	11,10,86	2,44,14,98
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	8,75,36,29	13,91,50,01	7,16,30,12	13,24,88,43
भारित	11,00,00	--	4,86,57	--
23. उद्योग				
दत्तमत	2,50,87,27	73,36,01	1,97,83,36	26,68,46
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	1,00,24,67	1,87,81,35	74,74,48	13,95,18
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	2,57,69,11	19,00,05	1,71,23,37	14,33,04,28
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	77,01,96	1,12,58,72	62,06,35	57,47,81
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	7,42,16,69	87,78,08	6,13,53,90	38,60,44
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन संबंधी कार्य				
दत्तमत	3,16,17,49	27,27,78	2,90,78,31	8,96,86
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	3,07,44,45	16,00,00	2,62,82,24	5,04,81
भारित	1,05,98	--	1,05,35	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	12,00,62,34	3,31,33,26	8,79,54,75	2,35,05,53
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	3,63,87,92	1,51,17,59	2,41,78,87	97,09,35
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	3,20,46,65,66	75,20,93,78	2,76,48,18,31	69,69,38,35
भारित	52,86,90,32	31,83,00,00	45,47,99,19	1,02,30,29,38
कुल योग	3,73,33,55,98	1,07,03,93,78	3,21,96,17,50	1,71,99,67,73

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2018-19		2017-18	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				(10)	(11)	(12)	(13)
86,45,74	--	--	14,14,04,23 (14,14,04,22,952)	(-)33.55	(+)7442.13	(-)23.29	(+)6861.73
--	--	--	--	--	--	--	--
14,95,61	55,10,91	--	--	(-)19.42	(-)48.95	(-)12.58	(-)8.24
--	--	--	--	--	--	--	--
1,28,62,79	49,17,64	--	--	(-)17.33	(-)56.02	(-)13.08	(+)6.68
--	--	--	--	--	--	--	--
25,39,18	18,30,92	--	--	(-)8.03	(-)67.12	(-)8.56	(-)53.61
--	--	--	--	--	--	--	--
44,62,21	10,95,19	--	--	(-)14.51	(-)68.45	(-)20.46	(-)18.19
63	--	--	--	(-)0.59	--	(-)2.10	--
3,21,07,59	96,27,73	--	--	(-)26.74	(-)29.06	(-)24.36	(-)20.21
--	--	--	--	--	--	--	--
1,22,09,05	54,08,24	--	--	(-)33.55	(-)35.77	(-)28.64	(-)33.57
--	--	--	--	--	--	--	--
43,98,47,35	19,68,39,12	--	14,16,83,69	(-)13.73	(-)7.33	(-)13.68	(+)1.53
7,38,91,13	85,02	--	70,48,14,40	(-)13.98	(+)221.40	(-)14.21	(+)189.48
51,37,38,48	19,69,24,14	--	84,64,98,09	(-)13.76	(+)60.69	(-)13.75	(+)55.22

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

- (i) 19-ग्राम्य विकास
- (ii) 25-खाद्य

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 1,07,07,94 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2018-19 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी | इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गये हैं |

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,16,88,78 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई | अनुदानों जिससे यह सम्बंधित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं |

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (व्यौरेवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है | शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं |

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2018-19 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है ।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय				
	45,47,99,19	1,02,30,29,38	2,76,48,18,31	69,69,38,35
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ				
	15,42	6,01,63,15
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय				
	45,47,99,19	1,02,30,29,38	2,76,48,02,89	63,67,75,20

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।


इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो सार्वजनिक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने तथा इन लेखों की सटीकता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकार पर ₹ 8464.97 करोड़ का अधिक संवितरण था। वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक सम्बंधित 51 अनुदानों तथा 23 विनियोग के अंतर्गत ₹ 27,194.16 करोड़ के अधिक संवितरण का नियमितीकरण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से किसी राशि का संवितरण नहीं किया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखा परीक्षा अवलोकन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत रूप से वर्णित है।



(राजीव महर्षि)

दिनांक: 15.07.2020

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान सं० 01 विधान सभा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	52,26,11		
		72,34,35	69,15,19
			(-)3,19,16
पूरक	20,08,24		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

भारित-

मूल	1,66,48		
		2,61,32	2,21,88
			(-)39,44
पूरक	94,84		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,96,02 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	31,50,00		
		31,50,00	31,45,00
			(-)5,00
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,19.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 3,19.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹20,08.24 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	20,63.47	19,73.82	89.65	
2014-15	28,56.26	26,44.87	2,11.39	
2015-16	31,45.81	28,64.91	2,80.90	
2016-17	35,30.18	31,74.93	3,55.25	
2017-18	43,64.73	43,18.90	45.83	

राजस्व:
भारित-

- (iv) ₹ 39.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (v) ₹ 39.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹94.84 लाख के विनियोग अधिक सिद्ध हुए |
- (vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	1,66.48			
		2,61.32	2,21.88	(-)39.44
पूरक	94.84			

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	48,20.00	26,20.00	22,00.00
2014-15	1,13,10.00	93,13.22	19,96.78
2015-16	25,50.00	2,00.00	23,50.00
2016-17	20,20.00	10,27.29	9,92.71
2017-18	20,20.00	19,74.12	45.88

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

02 विधान सभा में सभा मंडल, अतिथि गृहों आदि का निर्माण

मूल	50.00	50.00	45.00	(-)5.00
-----	-------	-------	-------	---------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	-------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भारित-	मूल	12,52,95	12,52,95	9,37,41	(-)3,15,54
	पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				3,15,54

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- (i) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	5,97.85	5,58.43	39.42	
2014-15	7,40.85	6,22.05	1,18.80	
2015-16	8,26.06	6,95.12	1,30.94	
2016-17	12,24.91	7,43.68	4,81.23	
2017-18	10,40.07	8,21.64	2,18.43	

- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	-------------	------------------	---------------------------------------

2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 090 सचिवालय			
(1) 03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	7,18.70	
		5,22.63	5,22.63
	पुनर्वि०	(-)1,96.07	0.00

दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 1,96.07 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के भरे न जाने तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 02 राज्यपाल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
(2) 03 राज्यपाल			
मूल	85.40		
		76.30	0.00
पुनर्वि०	(-)9.10		
दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 9.10 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया			
103 पारिवारिक स्थापना			
(3) 02 राजभवन की स्वच्छता			
मूल	26.70		
		19.36	0.00
पुनर्वि०	(-)7.34		
दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 7.34 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया			
(4) 03 कर्मचारी वर्ग			
मूल	2,66.80		
		2,02.64	0.00
पुनर्वि०	(-)64.16		
दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 64.16 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के भरे न जाने तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए			
105 चिकित्सा सुविधाएं			
(5) 03 चिकित्सा संबन्धी व्यय			
मूल	77.35		
		40.35	0.00
पुनर्वि०	(-)37.00		
दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 37.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया			

अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	-------------	------------------	---------------------------------------

(iii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

106 मनोरंजन खर्च

03 मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय

मूल

7.30

8.38

8.38

0.00

पुनर्वि०

1.08

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2019 को ₹ 1.09 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

2013 मंत्रि परिषद्

दत्तमत-

मूल	67,62,20		
		76,71,59	64,46,14
			(-)12,25,45
पूरक	9,09,39		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			2,35,22

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	45,00,00		
		65,00,00	54,55,97
			(-)10,44,03
पूरक	20,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			10,44,04

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 12,25.45 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,35.22 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 12,25.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹9,09.39 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	48,64.61	47,51.34	1,13.27
2014-15	1,27,94.22	1,26,78.42	1,15.80
2015-16	1,57,65.67	1,16,66.47	40,99.20
2016-17	84,58.00	67,03.16	17,54.84
2017-18	64,29.99	52,31.05	11,98.94

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2013 मंत्रि परिषद्

00

101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन

(1)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी			
	मूल	50.00	50.00	34.57
				(-)15.43

104 मनोरंजन तथा सत्कार व्यय

(2)	03 मनोरंजन तथा सत्कार व्यय			
	मूल	2,50.00		
			4,00.00	3,38.78
	पूरक	1,50.00		(-)61.22

105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

(3)	05 मा० मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान			
	मूल	2,00.00		
	पूरक	3,00.00	2,64.78	2,64.78
	पुनर्वि०	(-)2,35.22		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,35.22 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए			

108 दौरा खर्च

(4)	03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय			
	मूल	2,20.00	2,20.00	1,07.72
				(-)1,12.28

800 अन्य व्यय

(5)	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
	मूल	7,42.20		
			8,94.65	5,77.56
	पूरक	1,52.45		(-)3,17.09

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (v) ₹ 10,44.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹20,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए ।
- (vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

800 अन्य व्यय

02 मा० मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान

मूल 45,00.00

पूरक 20,00.00

पुनर्वि० (-)10,44.04

54,55.96

54,55.97

(+)0.01

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10,44.04 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए ।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2014 न्याय प्रशासन			
दत्तमत-			
मूल	1,93,04,06		
		2,07,64,85	1,67,91,61
			(-)39,73,24
पूरक	14,60,79		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...
भारित-			
मूल	52,80,00		
		53,76,42	35,67,28
			(-)18,09,14
पूरक	96,42		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...
पूंजीगत:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	45,10,00		
		45,10,00	40,45,78
			(-)4,64,22
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई |

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹39,73.24 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹39,73.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹14,60.79 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	1,36,90.04	1,00,38.36	36,51.68
2014-15	1,47,71.04	1,11,97.99	35,73.05
2015-16	1,36,99.62	1,07,32.38	29,67.24
2016-17	1,77,25.17	1,22,58.19	54,66.98
2017-18	1,63,72.26	1,44,34.60	19,37.66

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

(1) 03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश

मूल	1,20,47.20			
पूरक	15.00	1,19,92.20	1,01,77.48	(-)18,14.72
पुनर्वि०	(-)70.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2019 को ₹ 70.00 लाख की कमी अधिष्ठात व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी तथा यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 04 पारिवारिक न्यायालय

मूल	9,87.03			
		10,06.20	6,73.52	(-)3,32.68
पुनर्वि०	19.17			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 को ₹ 9.17 लाख तथा दिनांक 26 फरवरी 2019 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय

मूल	60.64	60.64	27.14	(-)33.50
-----	-------	-------	-------	----------

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 दण्ड न्यायालय			
(4) 03 नियमित अधिष्ठान			
मूल	17,39.22		
पूरक	1,52.03	19,42.08	16,90.59 (-)2,51.49
पुनर्वि०	50.83		
प्रावधान में ₹ 50.83 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि एवं कमी का शुद्ध प्रभाव था। प्रावधान में दिनांक 20 फरवरी 2019 को ₹ 9.17 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए। प्रावधान में दिनांक 26 फरवरी 2019 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद			
(5) 04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता			
मूल	10,64.25		
		13,14.25	11,48.40 (-)1,65.85
पूरक	2,50.00		
(6) 05 राज्य विधि आयोग			
मूल	1,50.00	1,50.00	40.78 (-)1,09.22
800 अन्य व्यय			
(7) 04 लोक सेवा अधिष्ठान			
मूल	4,31.30	4,31.30	3,41.86 (-)89.44
(8) 05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	2,11.31		
		3,75.50	1,89.12 (-)1,86.38
पूरक	1,64.19		
(9) 06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	4,87.51		
		7,55.97	4,47.29 (-)3,08.68
पूरक	2,68.46		

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	09 उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी		
	मूल	3,60.80	
		4,55.81	2,88.74
	पूरक	95.01	(-)1,67.07
(11)	10 लोक अदालत		
	मूल	64.17	
		5,19.90	1,62.17
	पूरक	4,55.73	(-)3,57.73

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

(1)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(2)	12 राज्य विधिक सहायता निधि				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

राजस्व:

भारित-

- (vi) ₹18,09.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹18,09.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹96.42 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(viii)	विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-		

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	26,24.50	20,72.94	5,51.56
2014-15	32,27.91	24,69.00	7,58.91
2015-16	32,66.00	23,88.77	8,77.23
2016-17	52,21.50	24,09.71	28,11.79
2017-18	39,41.50	32,21.84	7,19.66

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

52,80.00

53,76.42 35,67.28 (-)18,09.14

पूरक

96.42

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (x) ₹ 4,64.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	25,00.00	17,05.67	7,94.33
2014-15	34,50.01	14,96.14	19,53.87
2015-16	72,00.00	42,94.21	29,05.79
2016-17	48,00.02	9,33.50	38,66.52
2017-18	18,50.02	14,74.01	3,76.01

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

05 न्यायिक कार्यो हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	10,00.00	10,00.00	8,00.00	(-)2,00.00
-----	----------	----------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	44,12,68		
		46,88,29	35,92,92
			(-)10,95,37
पूरक	2,75,61		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			10,95,37

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	10,00,00		
		10,00,00	9,99,93
			(-)7
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			7

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 10,95.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,75.61 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	12,32.14	11,39.29	92.85
2014-15	49,88.76	47,91.09	1,97.67
2015-16	24,01.39	22,96.90	1,04.49
2016-17	65,86.80	56,76.14	9,10.66
2017-18	44,34.78	41,13.04	3,21.74

- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	12,00.00		
		9,64.35	0.00
पुनर्वि०	(-)2,35.65		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,35.65 लाख के अभ्यर्पण कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(2) 03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के0पो0)			
मूल	72.00		
		55.89	0.00
पुनर्वि०	(-)16.11		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2018 को ₹ 0.91 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 17.02 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(3) 05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के0पो0)			
मूल	12,24.05		
पूरक	1,13.00	11,56.64	0.00
पुनर्वि०	(-)1,80.41		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2018 को ₹ 0.91 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,79.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, अन्य भत्ते तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।			
105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार			
(4) 03 सामान्य निर्वाचन			
मूल	11,35.02		
		7,80.76	0.00
पुनर्वि०	(-)3,54.26		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 3,54.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
(5) 03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
मूल	1,00.08		
पूरक	47.81	74.38	74.38
पुनर्वि०	(-)73.51		0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 73.51 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय तथा लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई में हुई बचत के कारण किए गए			
(6) 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
मूल	7.20		
पूरक	1,14.80	1,06.07	1,06.07
पुनर्वि०	(-)15.93		0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹15.93 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार			
(7) 03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय			
मूल	4,03.57		
		1,89.98	1,89.98
पुनर्वि०	(-)2,13.59		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2019 को ₹ 10.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,03.59 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः यात्रा व्यय, मानदेय, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2029	भू - राजस्व		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2053	जिला प्रशासन		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		
2075	विविध सामान्य सेवाएं		
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत		
2506	भूमि सुधार		

दत्तमत-

मूल	12,23,57,77		
		12,34,40,67	8,61,86,63
			(-)3,72,54,04
पूरक	10,82,90		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			14,70,53

भारित-

मूल	2,19,31		
		2,19,31	2,13,46
			(-)5,85
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 12,68,41 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	4,42,50,03		
		4,42,75,03	1,70,23,97
			(-)2,72,51,06
पूरक	25,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,72.54.04 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 14,70.53 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(ii)	₹ 3,72.54.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 10,82.90 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।		
(iii)	अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-		

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	24,00,35.79	9,33,62.44	14,66,73.35
2014-15	20,66,38.12	10,28,68.00	10,37,70.12
2015-16	23,64,88.40	16,95,02.56	6,69,85.84
2016-17	28,66,81.41	15,81,83.13	12,84,98.28
2017-18	17,52,66.79	9,29,37.44	8,23,29.35

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू - राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय मूल	5,08.15	5,08.15	4,44.19	(-)63.96
(2)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण मूल	22.51	22.51	16.67	(-)5.84
(3)	06 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मूल	1,36.31	1,36.31	59.50	(-)76.81
(4)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान मूल	1,50,39.56	1,50,39.56	1,34,78.76	(-)15,60.80
(5)	07 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केंद्र मूल	74.81			
	पूरक	1,12.40	1,87.21	1,43.38	(-)43.83

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
00			
099 राजस्व परिषद			
(6)	02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान		
	मूल	4,20.04	
		4,59.19	3,96.60
	पूरक	39.15	(-)62.59
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
(7)	05 जिला चमोली के तहसील गैरसेंण (भराड़ीसेंण) में विधानसभा सत्र के दौरान व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में		
	मूल	1,25.00	1,25.00
			55.47
			(-)69.53
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00			
003 प्रशिक्षण			
(8)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल		
	मूल	7,71.27	7,71.27
			5,54.72
			(-)2,16.55
104 सतर्कता			
(9)	05 लोक आयुक्त संगठन		
	मूल	0.00	
		28.84	10.09
	पूरक	28.84	(-)18.75
(10)	06 सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूल एवं जनसेवा विभाग		
	मूल	6.00	
		12.00	5.66
	पूरक	6.00	(-)6.34
(11)	08 उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण		
	मूल	0.00	
		25.00	10.23
	पूरक	25.00	(-)14.77

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
106 सिविल रक्षा			
(12) 03 स्थापना (25 प्रतिशत के० पो०)			
मूल	91.71		
		76.88	0.00
पुनर्वि०	(-)14.83		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 14.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए ।			
107 होमगार्ड्स			
(13) 03 सामान्य अधिष्ठान			
मूल	77,98.50		
पूरक	12.00	64,97.56	(-)12.00
पुनर्वि०	(-)13,12.94		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2019 को ₹ 11.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 13,01.94 लाख की कमी मजदूरी, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, किराय, उपशुल्क और कर-स्वामित्व में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(14) 04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)			
मूल	8,33.88		
पूरक	54.00	7,96.90	0.00
पुनर्वि०	(-)90.98		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2019 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा जलकर हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,01.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ।			
800 अन्य व्यय			
(15) 13 सूचना आयोग की स्थापना			
मूल	3,38.10		
		3,01.28	0.00
पुनर्वि०	(-)36.82		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 36.82 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
<i>05 राज्य आपदा मोचन निधि</i>			
(16)	101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0		
	02 आपदा राहत निधि से व्यय		
	मूल 3,20,00.00	3,20,00.00	1,30,58.87 (-)1,89,41.13
<i>80 सामान्य</i>			
(17)	102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 3,90.00	3,90.00	20.93 (-)3,69.07
(18)	02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल 31,98.00	31,98.00	2,35.63 (-)29,62.37
(19)	04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास		
	मूल 10,00.00	10,00.00	7,31.35 (-)2,68.65
(20)	07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल 5,63.00		
		4,93.00	1,95.02 (-)2,97.98
	पुनर्वि० (-)70.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को ₹ 70.00 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(21)	97 वाह्य सहायतित योजनायें (एस.डी.एम.ए.)		
	मूल 47,00.00		
		47,00.05	22,00.00 (-)25,00.05
	पूरक 0.05		
800 अन्य व्यय			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 2,85,60.00	2,85,60.00	1,20,91.93 (-)1,64,68.07

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (11), (13) एवं (16) से (22) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00

105 विशेष जांच आयोग

(1) 03 राज्य आयोग और समितियां

मूल 7.23

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)7.23

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7.23 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान बचत के कारण अभ्यर्पित किये गए | अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए | वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

800 अन्य व्यय

(2) 16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन

मूल 5.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)5.00

दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कारण जनपदों से निधि का मांग न होना बताया गया |

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 02 विभिन्न प्रकार की कंसल्टेंसी

मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(4) 08 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

(5) 09 भूकम्प एवं अन्य आपदा से सुरक्षा हेतु सरकारी कार्यालयों का रेट्रोफिटिंग

मूल 5,00.00 5,00.00 0.00 (-)5,00.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(6)	10 राज्य राहत निधि मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					

(7)	11 आपदा न्यूनीकरण निधि मूल	0.00			
	पूरक	1,30.00		0.00	(-)1,30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) से (7) तक सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

05 राज्य आपदा मोचन निधि

901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	(-)2,50,00.00	(-)2,50,00.00	(-)1,30,23.22	(+)1,19,76.78
₹ 1,30,23.22 लाख सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों से संचित निधि में अंतरण किये गए					

80 सामान्य

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(2)	05 जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों का संचालन मूल	1,90.01			
	पुनर्वि०	70.00	2,60.01	2,02.63	(-)57.38

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सुविधाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 5.85 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	2,27.15	1,62.06	65.09
2014-15	2,51.39	1,45.13	1,06.26
2015-16	2,02.48	1,33.52	68.96
2016-17	2,59.37	1,76.89	82.48
2017-18	2,39,23	1,88,29	50,94

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (ix) ₹ 2,72,51.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (x) ₹ 2,72,51.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 25.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (xi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	27,00.00	13,21.80	13,78.20
2014-15	8,90.01	4,04.53	4,85.48
2015-16	13,30.02	8,87.53	4,42.49
2016-17	81,70.02	7,09.20	74,60.82
2017-18	7,28,90.06	5,82,75.23	1,46,14.83

- (xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

- (1) 03 तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण
- | मूल | 7,00.00 | 7,00.00 | 3,82.97 | (-)3,17.03 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
|-----|---------|---------|---------|------------|

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	12 जिला होमगार्ड कार्यालयों, जिला प्रशिक्षण केंद्र, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	3,50.00	3,50.00	2,16.00 (-)1,34.00
(3)	97 वाह्य सहायतित योजनाएँ			
	मूल	4,20,00.00	4,20,00.00	1,61,00.00 (-)2,59,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	09 पटवारी/कानूनगों चौकियों का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 प्राकृतिक आपदा

(2)	02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य			
	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00 (-)8,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर		
2043	राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन		

दत्तमत-

मूल	81,90,27,32		
		84,39,99,02	77,42,29,83 (-)6,97,69,19
पूरक	2,49,71,70		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			8,21,47

भारित-

मूल	49,74,62,33		
		51,74,62,33	44,75,32,44 (-)6,99,29,89
पूरक	2,00,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,29,74 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 4,59,53 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
6004	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
7615	विविध उधार		

दत्तमत-

मूल	2,22,12,73		
		3,28,12,73	1,67,78,70 (-)1,60,34,03
पूरक	1,06,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			15,52,34

भारित-

मूल	31,82,00,00		
		31,82,00,00	1,02,30,14,40 (+)70,48,14,40
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 3,95,57 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 6,97,69.19 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 8,21.47 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 6,97,69.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,49,71.70 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	31,86,72.68	30,70,55.25	1,16,17.43
2014-15	46,26,07.44	41,45,80.04	4,80,27.40
2015-16	52,70,37.29	44,84,23.95	7,86,13.34
2016-17	59,38,55.86	49,18,02.89	10,20,52.97
2017-18	76,29,63.29	74,03,48.58	2,26,14.71

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

(1) 03 न्यायिक स्टाम्प

मूल	2,50.00	2,50.00	33.98	(-)2,16.02
-----	---------	---------	-------	------------

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(2) 03 न्यायिक स्टाम्प

मूल	80.00	80.00	19.14	(-)60.86
-----	-------	-------	-------	----------

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(3) 03 गैर-अदालती स्टाम्प

मूल	5,00.00	4,76.66	2,64.96	(-)2,11.70
-----	---------	---------	---------	------------

पुनर्वि० (-)23.34

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2018 को ₹ 23.34 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	03 मुख्यालय मूल	1,82.65	
		2,06.65	(-)57.72
	पुनर्वि०	24.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2019 को ₹ 24.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा टेलीफोन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर			
00			
(5)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान मूल	1,80.42	1,35.76 (-)44.66
	800 अन्य व्यय		
(6)	05 वैट के अन्तर्गत वापसी मूल	55,00.00	39,77.60 (-)15,22.40
2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार			
00			
(7)	001 निदेशन एवं प्रशासन		
	03 अधिष्ठान मूल	11,17.16	8,04.23 (-)3,37.93
		11,42.16	
	पूरक	25.00	
800 अन्य व्यय			
(8)	02 राज्य का जी.एस.टी.एन. में अंश मूल	5,00.00	4,09.00 2,29.54 (-)1,79.46
	पुनर्वि०	(-)91.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2019 को ₹ 84.00 लाख तथा दिनांक 06 मार्च 2019 को ₹ 7.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क					
00					
103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क					
(9)	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	2,04.07	2,04.07	1,80.20	(-)23.87
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं					
00					
103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि					
(10)	03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल	5,46.66	5,46.66	4,56.20	(-)90.46
800 अन्य व्यय					
(11)	03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	1,61.76	1,61.76	1,37.82	(-)23.94
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ					
00					
090 सचिवालय					
(12)	03 सचिवालय अधिष्ठान मूल	1,48,82.86	1,48,92.86	1,26,08.41	(-)22,84.45
	पूरक	10.00			
(13)	05 रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान मूल	2,14.86	2,14.86	1,29.53	(-)85.33
(14)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ मूल	21.28	21.28	8.35	(-)12.93
(15)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान मूल	39.58	39.58	12.75	(-)26.83
(16)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	90.28	90.28	66.09	(-)24.19

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
091 संलग्न कार्यालय			
(17) 04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल	91.65	91.65	57.03 (-)34.62
(18) 05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था मूल	51.52	73.12	58.44 (-)14.68
पूरक	21.60		
(19) 09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	41.75	41.75	6.17 (-)35.58
(20) 10 वित्त आयोग निदेशालय मूल	1,20.00	1,20.00	84.65 (-)35.35
(21) 12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	81.48	81.48	61.57 (-)19.91
(22) 15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	1,07.22	1,07.22	50.12 (-)57.10
800 अन्य व्यय			
(23) 04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	1,80.00	64.54 (-)1,15.46
पुनर्वि०	(-)20.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2019 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
00			
003 प्रशिक्षण			
(24) 03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल	3,00.00	3,00.00	2,00.00 (-)1,00.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
(25) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	42.14	42.14	35.41 (-)6.73
(26) 03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान			
मूल	6,90.53		
पूरक	15.90	7,10.43	6,08.12 (-)1,02.31
पुनर्वि०	4.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2019 को ₹ 2.00 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(27) 05 विभागीय लेखा अधिष्ठान			
मूल	2,36.55	2,36.55	1,44.90 (-)91.65
097 खजाना स्थापना			
(28) 04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय			
मूल	1,21.71		
		1,29.91	1,03.65 (-)26.26
पूरक	8.20		
098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
(29) 05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन			
मूल	2,61.30	2,61.30	2,31.75 (-)29.55
(30) 06 आडिट निदेशालय			
मूल	11,50.66	11,50.66	9,67.39 (-)1,83.27
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01 सिविल			
102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
(31) 03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु आफ पेंशन)			
मूल	6,25,40.00	6,25,40.00	4,88,22.51 (-)1,37,17.49
104 उपादान			
(32) 03 उपादान			
मूल	5,40,20.00	5,40,20.00	4,83,21.04 (-)56,98.96

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(33)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल	50,00.00	50,00.00	2,02.72 (-)47,97.28
(34)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	7,35,00.00	7,83,34.21	73,91.98 (-)7,09,42.23
	पूरक	48,34.21		
(35)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन से सम्बंधित प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान मूल	50.01	50.01	10.27 (-)39.74
(36)	111 विधायकों को पेंशन 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	6,00.00	11,75.80	10,23.09 (-)1,52.71
	पूरक	5,75.80		
(37)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सी.आर.ए को भुगतान मूल	3,00.00	3,00.00	1,17.54 (-)1,82.46
(38)	800 अन्य व्यय 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता मूल	80.00	80.00	16.94 (-)63.06
	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00			
(39)	092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान मूल	4,22.01	4,22.01	3,20.46 (-)1,01.55
(40)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल	5,00.00	5,00.00	1,42.49 (-)3,57.51

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(41)	99 पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का गठन मूल	1,28.00	1,28.00	48.00 (-)80.00
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
<i>02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</i>				
001 निर्देशन एवं प्रशासन				
(42)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	9,75.00	9,75.00	63.02 (-)9,11.98
(43)	03 अर्थ एवं सांख्यिकी अधिष्ठान मूल	20,45.92	20,45.92	16,95.92 (-)3,50.00
(44)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	1,06.67	1,06.67	77.22 (-)29.45
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन				
<i>01 नगरीय स्थानीय निकाय</i>				
191 नगर निगम				
(45)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	99,45.80	99,45.80	45,47.44 (-)53,98.36
(46)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	2,76,90.04	2,76,90.04	2,45,04.65 (-)31,85.39
192 नगर पालिका/नगर निकाय				
(47)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,11,89.25	1,11,89.25	49,45.67 (-)62,43.58
193 नगर पंचायत / चिन्हित क्षेत्र / समिति आदि				
(48)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	37,29.75	37,29.75	12,13.78 (-)25,15.97
(49)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	1,03,83.76	1,03,83.76	63,46.99 (-)40,36.77

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(50)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल 76,01.00	71,01.00	14,88.17 (-)56,12.83
	पुनर्वि० (-)5,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 जनवरी 2019 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हुई बचत के कारण किये गए		

02 पंचायती राज संस्थायें

196 जिला पंचायतें/परिषदें

(51)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल 1,98,23.55	1,98,23.55	1,67,82.53 (-)30,41.02
------	----------------------------------------------------------------------	------------	------------------------

198 ग्राम पंचायतें को सहायता

(52)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 4,23,64.00	4,23,64.00	3,76,19.00 (-)47,45.00
------	-------------------------------------------------------	------------	------------------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

101 स्टाम्पों की लागत

(1)	03 गैर अदालती स्टाम्प मूल 2,50.00	2,50.00	0.00 (-)2,50.00
-----	--------------------------------------	---------	-----------------

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति मूल 1,00.00	76.00	0.00 (-)76.00
-----	---------------------------------------------------------------------------	-------	---------------

पुनर्वि० (-)24.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को ₹ 24.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर					
00					
800 अन्य व्यय					
(3)	04 गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष शक्कर निधि को अन्तरण मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-),8,00.00
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ					
00					
090 सचिवालय					
(4)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल	37.00			
	पुनर्वि०	(-),13.00	24.00	0.00	(-),24.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2019 को ₹ 13.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन					
00					
095 लेखा तथा खजानों निदेशालय					
(5)	06 पी.एफ.एम.एस./डी.बी.टी. का संचालन मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ					
01 सिविल					
101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते					
(6)	06 अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर मूल	16,00.00	16,00.00	0.00	(-),16,00.00
वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					
105 परिवार पेंशन					
(7)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल	25.00	25.00	0.00	(-),25.00
वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे					

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय			
(8) 09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता			
मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ

00

092 अन्य कार्यालय

(9) 07 परियोजना विकास निधि का गठन			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(10) 08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

01 जनगणना

800 अन्य व्यय

(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

3604

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

02 पंचायती राज संस्थायें

196 जिला पंचायतें/परिषदें

(12) 04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान			
मूल	16,61.00	16,61.00	0.00 (-)16,61.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

00

090 सचिवालय

(1) 08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय

मूल 20.00

पूरक 5.82

पुनर्वि० 13.00

38.82

37.54

(-)1.28

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2019 को ₹ 13.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

01 सिविल

101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते

(2) 03 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते

मूल 14,44,00.01

15,18,33.47

17,92,07.21

(+)2,73,73.74

पूरक 74,33.46

(3) 04 पूर्ववर्ती यू०पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड

मूल 1,75,00.01

1,75,00.01

2,00,27.00

(+)25,26.99

(4) 07 परिवहन निगम में रोडवेज़ के सेवानिवृत्त कार्मिक

मूल 60.00

60.00

80.94

(+)20.94

102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य

(5) 04 पूर्ववर्ती यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड

मूल 50,00.00

50,00.00

78,99.06

(+)28,99.06

(6) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर

मूल 5,00.00

5,00.00

13,06.30

(+)8,06.30

103 अनुकम्पा भत्ता

(7) 03 अनुकम्पा भत्ता

मूल 0.02

0.02

4.40

(+)4.38

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 उपादान			
(8) 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	36,00.00	36,00.00	64,03.25 (+)28,03.25
105 परिवार पेंशन			
(9) 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	50,00.00	50,00.00	52,27.05 (+)2,27.05
(10) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल	1,90.00	1,90.00	2,09.78 (+)19.78
109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन			
(11) 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं मूल	1,70,00.01	1,70,00.01	4,85,48.52 (+)3,15,48.51
(12) 05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	1,40,00.01	1,40,00.01	1,78,73.38 (+)38,73.37
115 सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ			
(13) 03 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	2,65,75.63		
		2,81,67.30	3,47,26.53 (+)65,59.23
	पूरक 15,91.67		
800 अन्य व्यय			
(14) 04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखंड) मूल	22,04.00	22,04.00	60,41.58 (+)38,37.58
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 6,99,29.89 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

- (viii) ₹ 6,99,29.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,00,00.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	27,02,84.95	20,56,82.13	6,46,02.82	
2014-15	30,65,07.77	24,07,63.57	6,57,44.20	
2015-16	34,37,13.94	30,22,37.62	4,14,76.32	
2016-17	40,10,55.80	37,83,87.27	2,26,68.53	
2017-18	46,34,32.80	39,88,18.25	6,46,14.55	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

- (1) 27 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुए
- | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------|
| मूल | 5,07,95.90 | 5,07,95.90 | 4,33,07.80 | (-)74,88.10 |
|-----|------------|------------|------------|-------------|
- (2) 28 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए
- | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|---------------|
| मूल | 5,66,14.00 | 5,66,14.00 | 2,64,78.00 | (-)3,01,36.00 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|
- (3) 29 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुए
- | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|---------------|
| मूल | 2,50,00.00 | 2,50,00.00 | 45,61.45 | (-)2,04,38.55 |
|-----|------------|------------|----------|---------------|
- 115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज
- (4) 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज
- | | | | | |
|-----|----------|----------|---------|-------------|
| मूल | 20,00.00 | 20,00.00 | 6,07.67 | (-)13,92.33 |
|-----|----------|----------|---------|-------------|
- 200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज
- (5) 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज
- | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| मूल | 4,00.00 | 4,00.00 | 1,72.67 | (-)2,27.33 |
|-----|---------|---------|---------|------------|

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल 3,50,00.00	3,50,00.00	2,24,21.60 (-)1,25,78.40
(7)	12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल 7,00.00	7,00.00	77.35 (-)6,22.65
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज		
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज		
(8)	04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल 4,50.00	4,50.00	2,14.89 (-)2,35.11
	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज		
	101 जमाओं पर ब्याज		
(9)	03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी०एल०ए० में) अवशेष मूल 1,35,00.00	1,35,00.00	66,31.36 (-)68,68.64

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

00

800 अन्य व्यय

(10)	06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबन्धित धनराशि मूल 3,50.00	3,50.00	50.39 (-)2,99.61
------	-------------------------------------------------------------------------	---------	------------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

00

797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों/को अन्तरण

(1)	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण मूल 50,00.00	2,00,00.00	0.00 (-)2,00,00.00
	पूरक 1,50,00.00		

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहतऋण शोधन निधि को अन्तरण		
	मूल	15,00.00	
		65,00.00	0.00 (-)65,00.00
	पूरक	50,00.00	
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

(3)	11 30प्र0 राज्य बि0प0 के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड)			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज

(4)	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज			
	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00 (-)3,30.00
	वर्ष 2007-08 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(5)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज			
	मूल	5,50.00	5,50.00	0.00 (-)5,50.00
	वर्ष 2004-05 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज

(6)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00 (-)3,30.00
	वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

(7) 05 नयी पेंशन योजन हेतु ब्याज

मूल 35,00.00

34,75.00 0.00 (-)34,75.00

पुनर्वि० (-)25.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2018 को ₹ 25.00 लाख की कमी ब्याज/लाभांश में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(8) 06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज

मूल 22.00 22.00 0.00 (-)22.00

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(1) 19 राज्य विकास ऋण, जो 2008-2009 में प्राप्त हुआ

मूल 53,08.00 53,08.00 70,70.50 (+)17,62.50

(2) 20 राज्य विकास ऋण, जो 2009-10 में प्राप्त हुआ

मूल 73,68.08 73,68.08 92,99.79 (+)19,31.71

(3) 21 राज्य विकास ऋण, जो 2010-11 में प्राप्त हुआ

मूल 84,08.60 84,08.60 1,07,70.45 (+)23,61.85

(4) 22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ

मूल 1,21,58.00 1,21,58.00 2,01,66.50 (+)80,08.50

(5) 25 राज्य विकास ऋण, जो 2014-15 में प्राप्त हुआ

मूल 2,15,61.00 2,15,61.00 2,85,02.00 (+)69,41.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	26 राज्य विकास ऋण, जो 2015-16 में प्राप्त हुआ मूल 4,04,39.00	4,04,39.00	4,25,52.60 (+)21,13.60
(7)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिपूर्तियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल 10,00,00.00	10,00,00.00	12,04,48.57 (+)2,04,48.57
(8)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय मूल 5,00.00	5,00.00	6,69.72 (+)1,69.72
(9)	04 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज 101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज 03 30प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज मूल 61,00.00	61,00.00	62,67.35 (+)1,67.35
(10)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 विविध 03 मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज मूल 5.00	30.00	15.53 (-)14.47
	पुनर्वि० 25.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2018 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि ब्याज/लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (9) तक अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (10) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

**पूजीगत:
दत्तमत-**

(xiii) ₹ 1,60,34.03 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 15,52.34 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

- (xiv) ₹ 1,60,34.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,06,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xv) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2013-14	5,29,52.56	4,88,71.87	40,80.69	
2014-15	3,11,26.07	2,88,16.97	23,09.10	
2015-16	67,65.10	52,34.06	15,31.04	
2016-17	3,94,13.49	83,60.20	3,10,53.29	
2017-18	4,51,99.70	1,89,58.43	2,62,41.27	

- (xvi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

- (1) 02 कोषागार/उपकोषागार के भवन निर्माण
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|------------|
| मूल | 2,00.00 | 2,00.00 | 54.06 | (-)1,45.94 |
|-----|---------|---------|-------|------------|

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------|------------|------------|------------|---------------|
| मूल | 1,52,50.00 | 2,52,50.00 | 1,25,40.66 | (-)1,27,09.34 |
| पूरक | 1,00,00.00 | | | |

- (3) 08 वित्त विभाग के अधिनस्त कार्यालयों हेतु भवन/ भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण
- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|----------|
| मूल | 0.00 | 50.00 | 29.22 | (-)20.78 |
| पूरक | 50.00 | | | |

- (4) 09 लोक निर्माण (नये कार्य)
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|----------|
| मूल | 1,19.87 | 1,19.87 | 81.65 | (-)38.22 |
|-----|---------|---------|-------|----------|

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड इम्पोरियम एवं भवन की स्थापना मूल 13,16.00 पूरक 5,00.00 पुनर्वि० (-)9,66.28 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 9,66.28 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए	8,49.72	6,29.29 (-)2,20.43
(6)	14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-)1,07.05 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,07.05 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए	1,92.95	1,92.95 0.00
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 40,00.00 उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)	40,00.00	28,22.64 (-)11,77.36
(xvii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01 कार्यालय भवन			
051 निर्माण			
(1)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
(2)	16 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत व्यय मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

02 शहरी आवास

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(3) 11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण मूल	1,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-1,00.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान ₹1,00.00 लाख दिनांक 31 मार्च 2019 को बचत के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए			
(4) 13 मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण मूल	0.01		
पूरक	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-50.01)		
सम्पूर्ण प्रावधान ₹50.01 लाख दिनांक 31 मार्च 2019 को बचत के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए			
(5) 15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-50.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख दिनांक 31 मार्च 2019 को बचत के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(6) 16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-50.00)		
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख दिनांक 31 मार्च 2019 को बचत के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए			
(7) 19 जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय का निर्माण मूल	2,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-2,00.00)		
वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,00.00 लाख दिनांक 31 मार्च 2019 को बचत के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

(8)	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00

7615 विविध उधार

00

200 अन्य कर्ज

(9)	01 विधायकों को आवास हेतु ऋण			
	मूल	40.00	40.00	0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)40.00

(10)	02 विधायकों को वाहन क्रय हेतु ऋण			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

पूँजीगत:

भारित-

- (xviii) पूँजीगत भारित विनियोग के अंतर्गत ₹ 70,48,14.40 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |
- (xix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम

(1)	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
	मूल	11,00,00.00	11,00,00.00	81,72,63.86
				(+)70,72,63.86

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति

(2)	03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	4,11,40.25 (+)11,40.25

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xx) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

01 आयोजनेत्तर ऋण

800 अन्य कर्ज

(1)	03 पूर्वोत्तर उ0प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की			
	मूल	1,00.00	1,00.00	47.66 (-)52.34

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण

101 एक मुश्त कर्ज

(2)	03 एक मुश्त उधार			
	मूल	55,00.00	55,00.00	43,65.28 (-)11,34.72

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xxi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

101 बाजार ऋण

(1)	04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

(2)	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
	मूल	14,00.00	14,00.00	0.00 (-)14,00.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
(3) 01 अन्य संस्थाओं से ऋण			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

800 अन्य ऋण			
(4) 03 अन्य ऋण			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए

800 अन्य			
(5) 03 सहकारिता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

दत्तमत-

मूल	26,98,70		
		29,35,50	26,23,60
पूरक	2,36,80		(-)3,11,90
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,11.90 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 3,11.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,36.80 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	13,06.65	11,04.77	2,01.88
2014-15	15,70.22	14,25.83	1,44.39
2015-16	20,10.39	18,19.45	1,90.94
2016-17	23,92.11	18,79.33	5,12.78
2017-18	25,40.58	22,81.99	2,58.59

अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

04 भट्टियां

मूल 20,73.57

पूरक 2,32.80 22,71.87 20,46.02 (-)2,25.85

पुनर्वि० (-)34.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2018 को ₹ 0.69 लाख, दिनांक 21 फरवरी 2019 को ₹ 8.81 लाख तथा दिनांक 22 मार्च 2019 को ₹ 25.00 लाख की कमी अन्य व्यय तथा अवकाश यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2051 लोक सेवा आयोग			
दत्तमत-			
मूल	16,15,44		
		16,15,44	15,34,62
			(-)80,82
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...
भारित-			
मूल	29,12,01		
		29,12,01	17,34,80
			(-)11,77,21
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...
पूंजीगत:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	2,00,00		
		2,00,00	2,00,00
			...
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...
भारित-			
मूल	1,00,00		
		1,00,00	14,98
			(-)85,02
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 80.82 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------------------

**राजस्व:
भारित-**

- (ii) ₹ 11,77.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	11,27.77	8,88.17	2,39.60
2014-15	12,41.16	10,82.42	1,58.74
2015-16	13,10.51	11,46.55	1,63.96
2016-17	28,96.83	19,47.69	9,49.14
2017-18	24,47.55	14,36.65	10,10.90

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल 29,12.01 29,12.01 17,34.80 (-)11,77.21

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

**पूंजीगत:
भारित-**

- (v) ₹ 85.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण

मूल 1,00.00 1,00.00 14.98 (-)85.02

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत-

मूल	19,14,89,18			
		19,38,77,78	18,33,47,98	(-)1,05,29,80
पूरक	23,88,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				20,55

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 10,35,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 2,54,28 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	20,72,01			
		23,22,01	18,58,80	(-)4,63,21
पूरक	2,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,05,29.80 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 20.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 1,05,29.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 23,88.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	9,58,96.92	9,35,25.91	23,71.01
2014-15	11,97,39.80	10,96,84.91	1,00,54.89
2015-16	12,41,71.28	11,80,97.74	60,73.54
2016-17	15,89,83.37	14,40,06.40	1,49,76.97
2017-18	17,34,48.94	16,60,59.35	73,89.59

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 04 अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण अधिष्ठान

मूल	73,84.90			
पूरक	1,11.00	73,97.90	65,52.54	(-)8,45.36
पुनर्वि०	(-)98.00			

प्रावधान में ₹ 98.00 लाख की कमी ₹ 1,08.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग का शुद्ध प्रभाव था | प्रावधान में दिनांक 25 जनवरी 2019 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवा हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 1,08.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	05 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद मूल 21.75	1.20	1.20	0.00
	पुनर्वि० (-)20.55			
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 20.55 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(3)	06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान मूल 2,08.38	2,18.38	1,04.63	(-)1,13.75
	पूरक 10.00			
(4)	08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ मूल 62.40	62.40	52.91	(-)9.49
(5)	13 अभियोजन अधिष्ठान मूल 9,01.31	9,10.31	6,91.68	(-)2,18.63
	पूरक 9.00			
(6)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना मूल 6,79.00	6,79.00	1,96.21	(-)4,82.79
(7)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 सुरक्षा व्यवस्था मूल 28,74.63	28,79.63	24,93.45	(-)3,86.18
	पूरक 5.00			
(8)	05 अपराधिक अन्वेषण मूल 14,04.19	14,21.59	12,18.46	(-)2,03.13
	पूरक 17.40			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(9)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण मूल	2,83.45	2,83.45	1,99.48	(-)83.97
	104 विशेष पुलिस				
(10)	05 एस.टी.एफ. मूल	4,27.70			
			4,72.80	4,22.65	(-)50.15
	पूरक	45.10			
	108 राज्य मुख्यालय पुलिस				
(11)	02 निर्वाचन मूल	5,00.00			
			3,95.00	3,93.65	(-)1.35
	पुनर्वि०	(-)1,05.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2019 को ₹ 1,05.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।				
(12)	04 राज्य आपदा प्रतिवादन बल मूल	42,86.43			
			43,91.43	37,43.23	(-)6,48.20
	पूरक	1,05.00			
	109 जिला पुलिस				
(13)	04 रेडियों अधिष्ठान मूल	60,27.59			
	पूरक	52.50	60,46.47	54,45.23	(-)6,01.24
	पुनर्वि०	(-)33.62			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को ₹ 33.62 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।				
(14)	08 यातायात व्यवस्था मूल	44.01	44.01	37.93	(-)6.08
(15)	14 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण मूल	2,12.16	2,12.16	74.15	(-)1,38.01

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	113 पुलिस कर्मचारियों का कल्याण 04 चिकित्सालय व्यय मूल	4,14.28	4,14.28	3,45.66 (-)68.62
(17)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	7,12.02	8,88.62	6,29.74 (-)2,58.88
	पूरक	1,76.60		
(18)	116 न्यायालयिक विज्ञान 03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला मूल	3,85.73	3,95.73	3,25.32 (-)70.41
	पूरक	10.00		
	2056 जेलें			
	00			
(19)	001 निदेशन तथा प्रशासन 03 कारागार अधिष्ठान मूल	59,71.84	59,71.84	51,44.93 (-)8,26.91
(20)	04 कारागार मुख्यालय मूल	2,12.41	2,12.41	1,81.75 (-)30.66
(21)	101 जेलें 01 केंद्र सहायतित योजना मूल	53.03	1,57.04	89.86 (-)67.18
	पूरक	1,04.01		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 10 अवैध खनन निरोधक सतर्कता ईकाई
मूल 41.54 41.54 0.00 (-)41.54

(2) 11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष
मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

800 अन्य व्यय

(3) 10 कुम्भ मेला व्यवस्था
मूल 2,00.00
पूरक 50.00
2,50.00 0.00 (-)2,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2055 पुलिस

00

101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 0.04
पूरक 2.95 36.61 34.65 (-)1.96
पुनर्वि० 33.62

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को ₹ 33.62 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टाफ कार/मोटर कार का क्रय, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

110 ग्राम पुलिस			
(2) 03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान			
मूल	5,05.10		
पूरक	1,78.00	7,91.10	7,73.72
पुनर्वि०	1,08.00		(-)17.38

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 1,08.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 4,63.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 4,63.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	1,05,39.66	58,50.66	46,89.00	
2014-15	58,93.04	51,37.76	7,55.28	
2015-16	17,80.06	14,88.82	2,91.24	
2016-17	24,00.04	6,88.17	17,11.87	
2017-18	26,50.02	18,06.73	8,43.29	

- (x) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

00

207 राज्य पुलिस

02 अग्निशमन एवं आपात सेवा

मूल 22.00

1,22.00 1,08.80 (-)13.20

पूरक 1,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

211 पुलिस आवास

(1)	06 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना				
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

(2)	08 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

800 अन्य व्यय

(3)	11 राज्य मानवाधिकार आयोग में निर्माण कार्य				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति

दत्तमत-

मूल	74,24,30,20			
		76,09,74,26	70,67,32,74	(-)5,42,41,52
पूरक	1,85,44,06			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				3,28,31,46

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 2,20 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 20,48,67 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	----------------------------------------------------

दत्तमत-

मूल	2,77,31,25			
		2,97,93,39	1,42,79,43	(-)1,55,13,96
पूरक	20,62,14			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				82,61,55

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 5,42,41.52 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 3,28,31.46 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 5,42,41.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,85,44.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	46,16,86.89	39,81,39.21	6,35,47.68
2014-15	52,89,84.61	45,48,36.94	7,41,47.67
2015-16	55,85,60.13	47,73,61.98	8,11,98.15
2016-17	65,13,93.12	52,00,75.18	13,13,17.94
2017-18	66,70,17.93	62,30,77.13	4,39,40.80

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय अधिष्ठान

मूल	4,68.87			
पूरक	72.00	4,74.09	4,74.08	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)66.78			

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 66.78 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(2) 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता

मूल	1,30,00.00			
		1,08,24.08	1,08,24.07	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)21,75.92			

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 21,75.92 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।

(3) 14 सहायता प्राप्त 30मा0 विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान

मूल	6,86.40			
		5,85.16	5,85.16	0.00
पुनर्वि०	(-)1,01.24			

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,01.24 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान मूल 18,36.00	15,31.05	15,31.05	0.00
	पुनर्वि० (-)3,04.95 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 3,04.95 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए			
(5)	104 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल 14,93.67 पूरक 14.50 पुनर्वि० (-)1,59.24	13,48.93	13,48.93	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,59.24 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन			
(6)	05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय मूल 1,98.40	1,98.40	1,76.60	(-)21.80
(7)	06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय मूल 89.16 पूरक 1.00	90.16	71.17	(-)18.99
(8)	12 दून लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेंटर को अनुदान मूल 1,00.00	88.01	88.00	(-)0.01
	पुनर्वि० (-)11.99 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2018 को ₹ 11.99 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(9)	105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 8,23.38	8,23.38	1,99.22	(-)6,24.16

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 परीक्षाएं			
(10) 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद			
मूल	7,14.00		
		9,64.00	5,74.16
पूरक	2,50.00		(-),3,89.84
(11) 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान			
मूल	9,26.66	9,26.66	7,91.36
			(-),1,35.30
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(12) 15 राजीव गाँधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना			
मूल	1,00.00	1,00.00	62.48
			(-),37.52
(13) 16 विजीटिंग शिक्षको का मानदेय			
मूल	75,00.00		
		6,60.00	4,17.43
पुनर्वि०	(-),68,40.00		(-),2,42.57
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2019 को ₹ 85.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 67,55.00 की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(14) 17 विकास खण्ड स्तर पर माँडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक)			
मूल	2,97.10	2,97.10	2,01.82
			(-),95.28
(15) 18 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन			
मूल	28.00	28.00	21.45
			(-),6.55
(16) 19 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना			
मूल	1,00.00	1,00.00	81.30
			(-),18.70
(17) 20 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार			
मूल	30.00	30.00	22.19
			(-),7.81
(18) 21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना			
मूल	10,00.00		
		16,21.68	9,78.21
पूरक	6,21.68		(-),6,43.47

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 03 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान मूल 4,84,60.00	4,84,60.00	4,30,88.43 (-)53,71.57
(20)	04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 4,00.01	4,00.01	1,06.84 (-)2,93.17
(21)	800 अन्य व्यय 25 प्रशिक्षण हेतु डायटो का सशक्तिकरण मूल 36.50	36.50	30.75 (-)5.75
(22)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 उच्च शिक्षा निदेशालय मूल 5,43.09	4,54.97	4,54.97 0.00
	पुनर्वि० (-)88.12 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 88.12 लाख के अभ्यर्पण का कारण उच्च शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया ।		
(23)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 08 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मूल 6,30.00	2,30.00	2,30.00 0.00
	पुनर्वि० (-)4,00.00 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(24)	11 प्रोद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सहायता मूल 32.00	25.00	25.00 0.00
	पुनर्वि० (-)7.00 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	12 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय मूल 2,00.00	1,50.00	1,50.00 0.00
	पुनर्वि० (-)50.00		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(26)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 25,00.00	4,18.83	4,18.83 0.00
	पुनर्वि० (-)20,81.17		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 20,81.17 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होना बताया गया ।		
(27)	03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय मूल 1,32,34.15	1,05,62.39	1,05,62.39 0.00
	पुनर्वि० (-)26,71.76		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2019 को ₹ 1,80.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पण के द्वारा ₹ 24,91.76 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(28)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश मूल 36,92.90	29,35.43	28,66.43 (-)69.00
	पुनर्वि० (-)7,57.47		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,57.47 लाख के अभ्यर्पण का कारण शिक्षकों के नियुक्ति वेतन/उच्च वेतनमान का बकाया बिल तैयार न होने तथा शिक्षकों के प्रचार्य पद पर अन्य योजना में संचालित विद्यालयों में पदोन्नति होना बताया गया ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	12 एन० डी० ए० तथा आई० एम० ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार मूल	1,00.00	
		46.00	46.00
	पुनर्वि०	(-)54.00	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 54.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(30)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता		
	03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मूल	80,50.00	
	पूरक	10,00.00	88,30.18
	पुनर्वि०	(-)2,19.82	80,89.11
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,19.82 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा वेतन एवं भत्ते के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
	05 भाषा विकास		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(31)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल	85.21	
		69.68	68.54
	पुनर्वि०	(-)15.53	(-)1.14
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 15.33 लाख के अभ्यर्पण का कारण प्रावधान का उपभोग न होना बताया गया		
(32)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन		
	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल	80.00	80.00
			55.00
			(-)25.00
(33)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी मूल	72.00	72.00
			36.00
			(-)36.00
(34)	15 उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी मूल	46.00	46.00
			20.00
			(-)26.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(35) 18 उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी मूल	48.50	48.50	11.00 (-)37.50
103 संस्कृत शिक्षा			
(36) 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	1,78.40	1,36.57	1,35.57 (-)1.00
पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 41.83 लाख के अभ्यर्पण का कारण प्रावधान का उपभोग न होना बताया गया	(-)41.83		
(37) 08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन मूल	80.29	64.46	63.74 (-)0.72
पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 15.83 लाख के अभ्यर्पण का कारण प्रावधान का उपभोग न होना बताया गया	(-)15.83		
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(38) 03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल	1,03.53	1,04.43	80.75 (-)23.68
पूरक	0.90		
(39) 04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल मूल	20,08.58	20,65.18	17,92.36 (-)2,72.82
पूरक	56.60		
(40) 05 एयर स्क्वाड्रन एन.सी.सी की स्थापना मूल	89.21	92.16	45.28 (-)46.88
पूरक	2.95		
2203 तकनीकी शिक्षा			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(41)	02 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद मूल	2,11.90	2,11.90	1,59.71	(-)52.19
(42)	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मूल	2,16.26			
	पूरक	0.50	2,16.76	1,86.00	(-)30.76
(43)	105 बहु शिल्प (पालीटेक्निकल) विद्यालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	12,49.00			
	पूरक	1,20.00	13,69.00	2,31.31	(-)11,37.69
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं					
	00				
(44)	001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	82.50			
	पुनर्वि०	(-)34.76	47.74	22.72	(-)25.02
(45)	03 खेलकूद निदेशालय मूल	6,80.27	6,80.27	5,79.33	(-)1,00.94
(46)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल	11,91.37			
	पुनर्वि०	(-)2,06.74	9,84.63	10,18.71	(+)34.08
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,06.74 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, अन्य भत्ते तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।					
(47)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान मूल	35.00			
	पुनर्वि०	(-)5.86	29.14	29.14	0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5.86 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।					

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 खेलकूद			
(48) 07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
मूल	60.00	60.00	2.14 (-)57.86
(49) 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार			
मूल	1,50.00	1,50.00	73.33 (-)76.67
(50) 12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान			
मूल	50.00	50.00	0.51 (-)49.49
(51) 14 प्रतियोगिताओं का आयोजन			
मूल	15.00	15.00	2.00 (-)13.00
(52) 30 पं० नैनसिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	70.00	70.00	16.12 (-)53.88
(53) 32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज			
मूल	70.00	70.00	49.55 (-)20.45
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(54) 05 धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान			
मूल	76.40		
पूरक	2.00	1.67	1.67 0.00
पुनर्वि०	(-76.73)		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 76.73 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
101 ललित कला शिक्षा			
(55) 03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
मूल	2,84.27		
पूरक	15.00	2,61.70	2,61.70 0.00
पुनर्वि०	(-37.57)		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 37.57 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
(56) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	20.25		
		11.52	1.33
पुनर्वि०	(-)8.73		(-)10.19
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 8.73 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(57) 06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना			
मूल	15.00		
		4.69	4.69
पुनर्वि०	(-)10.31		0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10.31 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(58) 12 शहीद स्मारक			
मूल	10.00		
		15.00	9.87
पूरक	5.00		(-)5.13
(59) 13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन			
मूल	40.00	40.00	9.91
			(-)30.09
(60) 33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता			
मूल	15.00	15.00	5.85
			(-)9.15
(61) 36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण			
मूल	20.00		
		4.40	4.40
पुनर्वि०	(-)15.60		0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 15.60 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(62) 39 हरेला महोत्सव का आयोजन			
मूल	50.00		
		6.00	6.00
पुनर्वि०	(-)44.00		0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 44.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 पुरातत्व विज्ञान			
(63) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10.76		
		5.19	0.00
पुनर्वि०	(-)5.57		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5.57 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए			
(64) 03 पुरातत्व अधिष्ठान			
मूल	1,84.19		
पूरक	10.70	1,39.02	0.00
पुनर्वि०	(-)55.87		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 55.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			
104 अभिलेखागार			
(65) 03 राज्य अभिलेख			
मूल	1,70.97		
पूरक	12.00	1,43.80	0.00
पुनर्वि०	(-)39.17		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 39.17 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए			
105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
(66) 03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय			
मूल	2,31.93	2,31.93	(-)34.13
107 संग्रहालय			
(67) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	1,45.56		
पूरक	2.00	1,16.48	0.00
पुनर्वि०	(-)31.08		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 31.08 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
2202 सामान्य शिक्षा			
<i>01 प्रारम्भिक शिक्षा</i>			
	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
(1)	08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल		
	मूल	5,00.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00	0.00
(2)	09 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जूनियर प्रभाग		
	मूल	18.48	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)18.48	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (2) पर दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिए गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किया गया		
<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय		
(3)	22 गरीब मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटॉप/मोबाइल वितरण		
	मूल	1,50.00	1,50.00
		0.00	(-)1,50.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
<i>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता		
(4)	09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना		
	मूल	58.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)58.00	0.00
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान		
(5)	05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान		
	मूल	70.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)70.00	0.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	13 विश्वविद्यालय के कैम्पसो का आधुनिकरण, जैसे वाई फाई इत्यादि मूल 50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00		0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(7)	14 महाविद्यालयो को नेक प्रत्यायन कि स्तर तक सुदृढीकरण मूल 1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00		0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(8)	107 छात्रवृत्तियां 06 निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मूल 20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(9)	800 अन्य व्यय 09 इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत बी० पी० एल० विद्यार्थियों हेतु लेपटॉप वितरण योजना मूल 50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00		0.00
	वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(10)	13 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति मूल 32.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)32.00		0.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11) 14 तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा मूल	6.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)6.00		
वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(12) 15 संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा वर्कशॉप का आयोजन मूल	5.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)5.00		
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(13) 16 स्नातकोत्तर/पी0 एच0 डी0 हेतु निर्धन छात्रों को सहायता मूल	20.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)20.00		
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (4) से (13) पर दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिए गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किया गया			
<i>05 भाषा विकास</i>			
(14) 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन 19 उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी मूल	33.01	33.01	0.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)33.01
2203 तकनीकी शिक्षा			
<i>00</i>			
(15) 112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	0.00
(-)10,00.00			
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
<i>00</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16) 06 युवा छात्रावासों का विकास मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(17) 09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
(18) 11 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(19) 15 प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का कोड़ियाला एवं गुलरभोज में व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(20) 19 युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(21) 20 पी० आर० डी० स्वयंसेवकों को अर्धसैनिकों का प्रशिक्षण मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
104 खेलकूद			
(22) 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(23) 11 राष्ट्रीय प्रतियोगताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(24)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन मूल 15.00	15.00	0.00 (-)15.00
(25)	22 प्रदेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता मूल 16.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	16.00	0.00 (-)16.00
(26)	31 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मूल 10.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	10.00	0.00 (-)10.00
(27)	33 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाडियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर मूल 30.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	30.00	0.00 (-)30.00
(28)	35 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना मूल 50.00 पुनर्वि० (-)39.73 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को ₹ 39.73 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।	10.27	0.00 (-)10.27

2205 कला तथा संस्कृति

00

102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन

(29)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का क्रय मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
------	--------------------------------------------------------------------	-------	---------------

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(30)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल 15.00	4.50	0.00	(-)4.50
	पुनर्वि० (-)10.50			
	वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2019 को ₹ 10.50 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(31)	37 स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन मूल 40.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00			
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(32)	38 बट्टी-केदार उत्सव मूल 20.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00			
(33)	40 राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन मूल 20.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00			
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(34)	42 चैतुला फण्ड/चेतुला उत्सव का आयोजन मूल 50.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00			
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(35)	43 राज्योत्सव (राज्यस्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन) मूल 50.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(36)	44 हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव / संचालन मूल	40.00	
		0.00	0.00

पुनर्वि० (-)40.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(37)	45 विशिष्ट शैली/वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन मूल	20.00	
		0.00	0.00

पुनर्वि० (-)20.00

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (31) से (36) पर दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिए गए | अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किया गया |

(38)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.00	
		10.00	0.00
	पूरक	10.00	(-)10.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,03,06.98		
	पूरक	20,00.00	6,62,25.21	6,62,25.20 (-)0.01
	पुनर्वि०	39,18.23		
	प्रावधान में ₹ 39,18.23 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोग एवं अभ्यर्पण का शुद्ध प्रभाव था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2019 को ₹ 5,55.05 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 67,55.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 22,81.72 लाख के अभ्यर्पण का कारण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किये गए			

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.01		
			5,55.06	5,55.06 0.00
	पुनर्वि०	5,55.05		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2019 को ₹ 5,55.05 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3)	10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों			
	मूल	9.00		
			30.54	30.54 0.00
	पुनर्वि०	21.54		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को ₹ 39.73 लाख की वृद्धि वेतन, मजदूरी तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 18.19 लाख वेतन, मजदूरी तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण अभ्यर्पित किये गए			

2205 कला तथा संस्कृति

00

102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 08 रंगमंडल स्थापना मूल	20.00		
		30.50	0.00
पुनर्वि०	10.50		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2019 को ₹ 10.50 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹1,55,13.96 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 82,61.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (viii) ₹ 1,55,13.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 20,62.14 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	4,73,62.70	2,89,07.59	1,84,55.11
2014-15	5,96,90.22	4,07,02.63	1,89,87.59
2015-16	6,08,92.44	2,38,12.18	3,70,80.26
2016-17	5,59,05.85	4,06,32.79	1,52,73.06
2017-18	2,77,14.26	1,65,17.37	1,11,96.89

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा भवन

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------|
| मूल | 50,00.01 | | | |
| | | 3,50.31 | 3,50.31 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-46,49.70) | | | |
| दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 46,49.70 लाख के अभ्यर्पण पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए | | | | |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण		
	मूल	5,00.00	
		83.88	83.88
	पुनर्वि०	(-4,16.12	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 4,16.12 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।		
	202 माध्यमिक शिक्षा		
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	55,00.04	
		65,00.04	31,68.76
	पूरक	10,00.00	(-33,31.28
(4)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			1,00.00
			(-3,00.00
(5)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			67.10
			(-32.90
(6)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण		
	मूल	2,50.00	2,50.00
			1,69.85
			(-80.15
(7)	29 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			72.01
			(-3,27.99
(8)	30 माडल स्कूलों में भवन निर्माण		
	मूल	3,50.00	3,50.00
			1,69.55
			(-1,80.45
(9)	98 नाबार्ड पोषित		
	मूल	15,00.00	
		20,00.00	15,54.14
	पूरक	5,00.00	(-4,45.86

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	20,00.01		
		9,04.39	0.00
पुनर्वि०	(-)10,95.62		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10,95.62 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होना बताया गया ।			
(11) 23 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय			
मूल	5,00.00		
		59.75	0.00
पुनर्वि०	(-)4,40.25		
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2019 को ₹ 4,40.25 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।			
03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(12) 05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)			
मूल	4,00.00		
		1,36.56	0.00
पुनर्वि०	(-)2,63.44		
प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 05 मार्च 2019 को ₹ 2,63.44 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(13) 09 अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण			
मूल	60.00	60.00	(-)35.72
(14) 13 देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के भवन का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	(-)88.81
(15) 15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम			
मूल	3,00.00		
		5,00.00	(-)2,00.00
पूरक	2,00.00		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

04 कला और संस्कृति

106 संग्रहालय

(16)	04 महान विभूतियों की मूर्तियों/शहीद स्मारक का निर्माण			
	मूल	2,71.00		
		61.86	61.86	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,09.14		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,09.14 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			

(17)	06 प्रेक्षागृह का निर्माण			
	मूल	3,00.00		
	पूरक	2,00.00	30.35	30.35
	पुनर्वि०	(-)4,69.65		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 4,69.65 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण/निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00
(2)	31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
				(-)50.00
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	14 कुमाऊँ विश्व विद्यालय			
	मूल	2,50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,50.00		0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 18 सम्बद्ध विश्व विद्यालय			
मूल	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
मूल	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(6) 24 श्री देव सुमन विश्वविद्यालय को अनुदान			
मूल	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) से (6) पर दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए			
205 भाषा विकास			
(7) 04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण			
मूल	50.00	50.00	(-)50.00
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(8) 08 राजकीय संस्कृत आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण			
मूल	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिए गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(9) 31 एन० सी० सी० प्रशिक्षण एकेडमी			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 बहुशिल्प			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(11) 08 राजकीय महिला इंजीनियरिंग कालेज देहरादून			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(12) 10 इंजीनियरिंग कालेज टनकपुर			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(13) 11 इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(14) 12 सीमांत प्रोद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(15) 13 इंजीनियरिंग कॉलेज सल्ट (अल्मोड़ा) का भवन निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(16) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17) 04 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य)			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
			(-)2,00.00
(18) 20 पवेलियन ग्राउंड में निर्माण			
मूल	5.00	5.00	0.00
			(-)5.00
(19) 22 त्रेपन सिंह नेगी, राज्यस्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
			(-)2,00.00
<i>04 कला और संस्कृति</i>			
106 संग्रहालय			
(20) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)5,00.00		0.00
(21) 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण			
मूल	2,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)2,00.00		0.00
(22) 05 नेहरू हेरीटेज सेंटर			
मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00		0.00
(23) 07 जागर महाविद्यालय की स्थापना			
मूल	25.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)25.00		0.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (20) से (23) पर दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

(1) 03 कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना
मूल 13,00.00

15,44.00 15,44.00 0.00

पुनर्वि० 2,44.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2019 को ₹ 2,44.00 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडियम

(2) 26 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

मूल 10,00.00

12,63.44 12,47.10 (-)16.34

पुनर्वि० 2,63.44

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2019 को ₹ 2,63.44 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | शीर्ष के अंतर्गत 16.34 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	21,02,76,53			
		22,22,90,42	17,26,45,40	(-)4,96,45,02

पूरक	1,20,13,89			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 5,56,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,83,80,07			
		2,29,80,07	1,87,40,30	(-)42,39,77

पूरक	46,00,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 1,90,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,96,45.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,96,45.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,20,13.89 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	9,69,36.42	8,53,25.76	1,16,10.66
2014-15	15,96,65.09	11,99,31.09	3,97,34.00
2015-16	17,77,51.08	12,63,49.55	5,14,01.53
2016-17	17,75,93.95	13,23,63.27	4,52,30.68
2017-18	19,51,33.60	14,41,15.60	5,10,18.00

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1)	03 एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों का अधिष्ठान				
	मूल	3,20,95.20			
			3,32,89.60	2,70,54.30	(-)62,35.30
	पूरक	11,94.40			
(2)	05 क्षय रोग के चिकित्सालयों का अधिष्ठान				
	मूल	28,99.36			
	पूरक	1.50	29,25.86	23,78.51	(-)5,47.35
	पुनर्वि०	25.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2019 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा भोजन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है				
(3)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना				
	मूल	1,14.96			
			1,26.71	81.08	(-)45.63
	पूरक	11.75			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	11 ब्लड बैंक की स्थापना/अधिष्ठान			
	मूल	3,43.67		
	पूरक	25.00	3,38.67	(-)1,07.18
	पुनर्वि०	(-)30.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2019 को ₹ 30.00 लाख की कमी सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(5)	14 विधान सभा में रा०एलोपैथिक औषधालय की स्थापना			
	मूल	69.61		
			89.61	(-)12.65
	पूरक	20.00		
(6)	15 चिकित्सा प्रबंधन समिति के अधीन क्रियाशील चिकित्सालयों हेतु बजट व्यवस्था			
	मूल	35,00.00	35,00.00	(-)17,15.00
(7)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में रा०एलोपैथिक औषधालय की स्थापना/अधिष्ठान			
	मूल	1,02.13		
			1,22.13	(-)23.94
	पूरक	20.00		
(8)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों का अधिष्ठान			
	मूल	23,24.74		
			23,52.74	(-)3,56.91
	पूरक	28.00		
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	22.02		
			39.72	(-)9.41
	पूरक	17.70		
(10)	23 गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना			
	मूल	4,29.50		
			4,70.00	(-)3,36.32
	पूरक	40.50		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान			
	मूल	1,41.00		
			2,16.00	
	पूरक	75.00		
			96.61	(-),19.39
(12)	97 वाहय सहायतित परियोजनायें			
	मूल	80,53.50	80,53.50	16,48.32
				(-),64,05.18
	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,52.94		
			1,77.94	
	पूरक	25.00		
			1,40.11	(-),37.83
(14)	03 प्रदेश में अन्धपन की रोकथाम			
	मूल	9,07.16	9,07.16	7,54.36
				(-),1,52.80
	800 अन्य व्यय			
(15)	06 विभिन्न मेलों/तीर्थयात्रा मार्गों/कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं स्वैच्छिक संस्थाओं हतु बजट व्यवस्था			
	मूल	1,13.51	1,13.51	86.01
				(-),27.50
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
	101 आयुर्वेद			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	25,00.00	25,00.00	17,64.61
				(-),7,35.39
(17)	03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	15,42.74		
			15,45.74	
	पूरक	3.00		
			12,86.43	(-),2,59.31
(18)	04 विभागीय औषधि विनिर्माण			
	मूल	3,55.07		
			3,60.67	
	पूरक	5.60		
			2,91.45	(-),69.22

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	05 अस्पताल तथा रुजालया मूल	50.00	50.00	3.40 (-)46.60
(20)	08 आयुर्वेदिक मूल	1,74,20.49	1,74,27.09	1,49,30.36 (-)24,96.73
	पूरक	6.60		
(21)	102 होम्योपैथी 03 निर्देशन तथा प्रशासन मूल	1,37.16	1,39.16	1,22.45 (-)16.71
	पूरक	2.00		
(22)	04 अस्पताल और औषधालय मूल	9,75.39	9,75.39	8,15.52 (-)1,59.87
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(23)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,50,00.00	3,50,00.00	2,87,92.59 (-)62,07.41
(24)	17 राजकीय एलोपैथिक, ग्रामीण महिला चिकित्सालयों एवं ट्रामा सेंटर अधिष्ठान मूल	97,59.52		
	पूरक	2,15.00	95,24.52	87,16.01 (-)8,08.51
	पुनर्वि०	(-)4,50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2019 को ₹ 4,50.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			
(25)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	89.14	94.14	78.12 (-)16.02
	पूरक	5.00		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(26)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,67.20	2,67.20	1,07.04 (-)1,60.16
(27)	03 शिक्षा			
	मूल	59.00	59.00	4.02 (-)54.98
(28)	04 मेडिकल कालेज			
	मूल	2,34,51.10		
			2,50,56.61	2,04,23.60 (-)46,33.01
	पूरक	16,05.51		
(29)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	8,91.09		
			9,62.14	5,99.34 (-)3,62.80
	पूरक	71.05		
(30)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	2,28.11	2,28.11	1,14.33 (-)1,13.78
(31)	10 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय			
	मूल	6,50.00	6,50.00	2,50.00 (-)4,00.00
	<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
	003 प्रशिक्षण			
(32)	03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठान			
	मूल	2,93.56		
			2,99.56	2,64.36 (-)35.20
	पूरक	6.00		
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,03.47	1,03.47	40.92 (-)62.55

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	03 लोक स्वास्थ्य		
	मूल	88,98.10	
	पूरक	72,07.50	1,58,72.29
	पुनर्वि०	(-)2,33.31	59,91.99
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2018 को ₹ 2,38.31 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2019 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(35)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना		
	मूल	1,44.12	
			1,80.65
	पूरक	36.53	73.06
			(-)1,07.59
(36)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन (पी.पी.पी)		
	मूल	55,00.00	55,00.00
			20,40.28
			(-)34,59.72
(37)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण		
	03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला का अधिष्ठान		
	मूल	4,33.63	
			5,10.13
	पूरक	76.50	4,33.85
			(-)76.28
(38)	104 औषधि नियंत्रण		
	03 ड्रग कन्ट्रोल का अधिष्ठान		
	मूल	1,36.68	
			2,00.18
	पूरक	63.50	1,11.73
			(-)88.45
	2211 परिवार कल्याण		
	00		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	8,27.57		
			9,05.07	6,47.82
	पूरक	77.50		(-),57.25
	003 प्रशिक्षण			
(40)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,81.87		
			3,06.87	2,76.12
	पूरक	25.00		(-)30.75
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें			
(41)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,13,14.57		
			1,14,14.57	1,00,61.79
	पूरक	1,00.00		(-)13,52.78
	102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें			
(42)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,27.67		
			5,27.67	4,29.05
				(-)98.62

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें

08 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण

मूल	38.05	38.05	0.00	(-)38.05
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(1) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान

मूल 74,33.45

पूरक 1,21.00 80,04.45 76,75.61 (-)3,28.84

पुनर्वि० 4,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2019 को ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(2) 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान

मूल 76,38.75

82,68.75 85,99.67 (+)3,30.92

पूरक 6,30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

पूजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 42,39.77 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(viii) ₹ 42,39.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 46,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |

(ix) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	3,31,16.59	1,43,02.67	1,88,13.92
2014-15	2,76,41.06	2,52,13.80	24,27.26
2015-16	1,71,76.30	1,37,96.66	33,79.64
2016-17	1,48,25.17	1,15,97.02	32,28.15
2017-18	1,46,55.03	63,94.01	82,61.02

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था

मूल	0.01			
पूरक	50.00	83.03	33.03	(-)50.00
पुनर्वि०	33.02			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2018 को ₹ 33.02 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(2) 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

मूल	4,00.00			
		3,49.18	3,49.14	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)50.82			

प्रावधान में ₹ 50.82 लाख की कमी दिनांक 18 फरवरी 2019 को पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 77.43 लाख की कमी एवं ₹ 26.61 लाख की वृद्धि का शुद्ध प्रभाव था | प्रावधान में कमी एवं वृद्धि का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

800 अन्य व्यय

(3) 03 राज्य सेक्टर

मूल	8,90.00	8,90.00	7,90.00	(-)1,00.00
-----	---------	---------	---------	------------

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 एलोपैथी

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,01,95.00			
		1,06,95.00	79,62.08	(-)27,32.92
पूरक	5,00.00			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(5)	12 अलमोड़ा में नर्सिंग कालेज की स्थापना		
	मूल	3,00.00	
		33,00.00	23,00.00
	पूरक	30,00.00	(-)10,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 03 शव विच्छेदन गृहों का निर्माण

मूल 60.00

0.37 0.00 (-)0.37

पुनर्वि० (-)59.63

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2018 को ₹ 33.02 लाख तथा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹ 26.61 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

(2) 04 ब्लड बैंक, आई.सी.यू. इत्यादी का निर्माण कार्य

मूल 2,00.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹ 2,00.00 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

800 अन्य व्यय

(3) 04 गुरुकुल आयुर्वेद कालेज हरिद्वार

मूल 25.00

25.00 0.00 (-)25.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
103 यूनानी			
(4)	02 पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
105 एलोपैथी			
(5)	05 रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण		
	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(6)	10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना		
	मूल 1,00.00		
		1,50.00	0.00 (-)1,50.00
	पूरक 50.00		
(7)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना		
	मूल 3,60.00		
		1,71.32	0.00 (-)1,71.32
	पुनर्वि० (-)1,88.68		
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2019 को ₹ 1.88.68 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(1)	17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण मूल 3,00.00	3,77.43	3,77.43	0.00
	पुनर्वि० 77.43			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹ 77.43 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(2)	23 बेस चिकित्सालयों का निर्माण मूल 20,00.00	22,00.00	22,00.00	0.00
	पुनर्वि० 2,00.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
<i>03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>				
105 एलोपैथी				
(3)	03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना मूल 1,00.00	2,88.68	4,28.62	(+)1,39.94
	पुनर्वि० 1,88.68			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2019 को ₹ 1,88.68 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,39.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत-

मूल	5,88,57,35			
		7,05,07,26	5,61,53,00	(-)1,43,54,26
पूरक	1,16,49,91			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 16,13,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
6217	शहरी विकास के लिए ऋण

दत्तमत-

मूल	10,47,46,99			
		11,15,16,99	5,97,86,24	(-)5,17,30,75
पूरक	67,70,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,43,54.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,43,54.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,16,49.91 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	8,18,46.93	5,10,21.85	3,08,25.08
2014-15	9,50,38.96	7,74,52.98	1,75,85.98
2015-16	9,30,33.01	6,30,33.75	2,99,99.26
2016-17	11,61,09.69	7,44,80.31	4,16,29.38
2017-18	7,55,41.21	5,84,16.33	1,71,24.88

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 कंसल्टेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान
मूल 50.00 व्यय 50.00 बचत 31.58 (-)18.42

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 6,07.78 व्यय 3,94.06 बचत 3,94.07 (+)0.01

पुनर्वि० (-)2,13.72

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 2,13.72 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए |

(3) 04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन
मूल 0.01 व्यय 1,00.01 बचत 24.64 (-)75.37

पूरक 1,00.00

(4) 97 बाह्य सहायतित योजना
मूल 12,00.00 व्यय 1,44.50 बचत 1,44.50 0.00

पुनर्वि० (-)10,55.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2018 को ₹ 6,56.47 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2019 को ₹ 3,99.03 लाख की कमी ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(5) 08 पेयजल योजनाओं के दैवीय आपदा, अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अनुदान			
मूल	2,00.00		
पूरक	5,00.00	3,95.06	2,00.00 (-)1,95.06
पुनर्वि०	(-)3,04.94		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 3,04.94 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(6) 06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
मूल	10,28.25		
		10,30.75	5,26.68 (-)5,04.07
पूरक	2.50		
(7) 07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
मूल	1,40.43	1,40.43	78.95 (-)61.48
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,54,90.00		
		1,25,01.85	69,45.50 (-)55,56.35
पुनर्वि०	(-)29,88.15		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 29,88.15 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(9) 03 नगरों का समेकित विकास			
मूल	36,20.11	36,20.11	25.97 (-)35,94.14
800 अन्य व्यय			
(10) 15 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय			
मूल	11,00.00	11,00.00	5,00.00 (-)6,00.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	18 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण मूल	10,00.00	10,00.00	5,00.00 (-5,00.00)
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	02 हरिद्वार कुम्भ/अर्ध कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान मूल	73.31	73.31	50.29 (-23.02)
(13)	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	13,69.03		
	पूरक	4,72.61	18,41.64	13,41.79 (-4,99.85)
(14)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	52.38	52.38	28.13 (-24.25)
(15)	05 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	47.59	47.59	29.24 (-18.35)
	800 अन्य व्यय			
(16)	07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद मूल	1,17.52	1,17.52	70.13 (-47.39)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,19.01	1,19.01	0.00 (-1,19.01)
-----	--------------------------------------------	---------	---------	--------------------

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(2) 14 चाल-खाल निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशि एवं जल संरक्षण पर वाटर बोनस हेतु अनुदान			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
<i>02 मल निकासी एवं सफाई</i>			
105 सफाई सेवाएँ			
(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	14,00.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)14,00.00		
दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 14,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान पुनर्विनियोग के द्वारा कम किये गए			
106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
(4) 05 गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
2217 शहरी विकास			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(5) 04 सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(6) 05 सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(7) 06 सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वालों, सपेरा आदि हेतु सहायता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(8) 12 मेट्रो ट्रेन का सर्वेक्षण/डी0 पी0 आर0 मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
(9) 17 ई0 डब्लू0 एस0 आवासों हेतु अनुदान मूल	15,00.00	15,00.00	0.00 (-)15,00.00
(10) 19 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशि की वापसी मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
(11) 09 डी0 पी0 आर0 निर्माण मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

(1) 05 नगरीय पेयजल				
मूल	1,42,50.01			
पूरक	61,26.80	2,49,82.64	2,49,82.63	(-)0.01
पुनर्वि०	46,05.83			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 53,05.84 लाख की वृद्धि विद्युत देय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 7,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।				
102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम				
(2) 07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान				
मूल	20,00.00			
पूरक	15,00.00	41,56.47	40,02.62	(-)1,53.85
पुनर्वि०	6,56.47			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2018 को ₹ 6,56.47 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(3) 06 स्वजल निदेशालय एवं एस0 डब्लू0 एस0 एम0			
मूल	0.00		
पूरक	2,00.00	9,00.00	9,00.00
पुनर्वि०	7,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 7,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के करण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 5,17,30.75 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 5,17,30.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 67,70.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	4,99,65.00	2,24,57.37	2,75,07.63
2014-15	7,13,50.02	2,35,64.65	4,77,85.37
2015-16	5,36,18.42	3,79,10.87	1,57,07.55
2016-17	4,84,31.85	3,09,87.25	1,74,44.60
2017-18	8,30,99.99	6,37,50.51	1,93,49.48

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

- (1) 03 नगरीय पेयजल

मूल	42,86.98			
		47,86.98	43,07.82	(-)4,79.16
पूरक	5,00.00			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 अल्मोड़ा-सरयू-सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना मूल	4,00.00	4,00.00	1,98.06 (-)2,01.94
(3)	05 शहरी पेय जल मूल	9,80.00	9,80.00	6,17.02 (-)3,62.98
(4)	102 ग्रामीण जल आपूर्ति 06 हैण्ड पम्पों की स्थापना (ग्रामीण) मूल	4,00.00	4,00.00	3,57.76 (-)42.24
(5)	97 वाह्य सहायतित योजनाएँ मूल	1,28,00.00	1,28,00.00	58,55.50 (-)69,44.50
(6)	02 मल-जल तथा सफाई 105 स्वच्छता सेवाएँ 01 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	17,29.44 (-)1,07,70.56
(7)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 051 निर्माण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,44,00.00	3,34,00.00	1,44,00.97 (-)1,89,99.03
	पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए	(-)10,00.00		
(8)	04 नगरों का समेकित विकास मूल	30,30.00	30,30.00	7,57.60 (-)22,72.40
(9)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	20,00.00	20,00.00	5,80.00 (-)14,20.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

6217 शहरी विकास के लिए ऋण

03 छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास

800 अन्य ऋण

(10) 02 अल्मोड़ा नगर पालिका को ऋण

मूल	0.00	0.00	(-)5,80.00	(-)5,80.00
-----	------	------	------------	------------

₹ (-)5,80.00 लाख का व्यय पूर्व वर्ष की आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति का समायोजन है |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(1) 02 अवस्थापना सुविधाओ का विकास

मूल	0.00			
-----	------	--	--	--

	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
--	----------	------	-------------

पूरक	15,00.00		
------	----------	--	--

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

01 राज्य की राजधानी का विकास

051 निर्माण-कार्य

(2) 02 मेट्रो रेल का निर्माण

मूल	75,00.00	75,00.00	0.00	(-)75,00.00
-----	----------	----------	------	-------------

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

051 निर्माण

(3) 03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण

मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	---------	---------	------	------------

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता

(4) 03 नगरों का समेकित विकास			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	10,00.00			
		20,00.00	20,00.00	0.00

पुनर्वि० 10,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2220 सूचना तथा प्रसार

दत्तमत-

मूल	85,46,45			
		1,27,74,27	1,18,82,51	(-)8,91,76
पूरक	42,27,82			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				4,20,74

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 23,62,04 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,00,01			
		1,00,01	...	(-)1,00,01
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				1,00,01

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 8,91.76 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,20.74 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 8,91.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 42,27.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	49,28.36	48,12.04	1,16.32
2014-15	53,76.81	52,75.52	1,01.29
2015-16	44,93.10	42,74.32	2,18.78
2016-17	1,02,71.96	97,95.75	4,76.21
2017-18	43,46.25	40,15.99	3,30.26

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2220 सूचना तथा प्रसार

01 फिल्म

105 फिल्मों का निर्माण

(1) 03 अधिष्ठान

मूल	6,62.77			
		6,58.34	4,76.02	(-1,82.32)
पुनर्वि०	(-4.43)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2018 को ₹ 4.00 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.43 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए |

(2) 06 फिल्म परिषद की स्थापना

मूल	2,00.00			
पूरक	2,21.57	3,99.02	2,49.02	(-1,50.00)
पुनर्वि०	(-22.55)			

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 22.55 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

60 अन्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	9,63.47			
पूरक	6.25	7,76.60	7,42.23	(-34.37)
पुनर्वि०	(-1,93.12)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 को ₹ 8.00 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,85.12 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, अन्य भत्ते तथा आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 सूचना केन्द्र			
(4) 03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
मूल	87.93		
		56.74	0.00
पुनर्वि०	(-)31.19		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2018 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 35.19 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए			
(5) 04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर			
मूल	21.06		
		14.02	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)7.04		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7.04 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन में हुई बचत के कारण किये गए			
106 क्षेत्र प्रचार			
(6) 03 अधिष्ठान			
मूल	4,60.25		
		3,47.56	(-)3.71
पुनर्वि०	(-)1,12.69		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,12.69 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किये गए			
109 फोटो सेवायें			
(7) 03 अधिष्ठान			
मूल	52.78		
		43.05	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)9.73		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 9.73 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

110 प्रकाशन			
(8) 03 अधिष्ठान			
मूल	6,36.36		
		6,07.93	5,07.93
			(-)1,00.00

पुनर्वि० (-)28.43

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 28.43 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन में हुई बचत के कारण किये गए |

800 अन्य व्यय			
(9) 03 स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय			
मूल	1,00.00		
		89.61	89.61
			0.00

पुनर्वि० (-)10.39

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10.39 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (3), (6) एवं (8) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2220 सूचना तथा प्रसार

60 अन्य

800 अन्य व्यय

07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन

मूल 30.00

37.97 37.97 0.00

पुनर्वि० 7.97

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.03 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 1,00.01 लाख के सम्पूर्ण पूंजीगत दत्तमत अनुदान अप्रयुक्त रहे |
(vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 मिडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल

1,00.00

0.00

0.00

0.00

पुनर्वि०

(-),1,00.00

बचत के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किये गए | सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		

दत्तमत-

मूल	15,94,73,61				
		17,09,43,24	13,41,82,98	(-)3,67,60,26	
पूरक	1,14,69,63				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)					7,37,38

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 90,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	71,29,05				
		80,29,05	37,87,12	(-)42,41,93	
पूरक	9,00,00				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)					2,26,02

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,67,60.26 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 7,37.38 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 3,67,60.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,14,69.63 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	7,92,79.64	6,14,68.21	1,78,11.43
2014-15	14,09,95.80	10,67,39.78	3,42,56.02
2015-16	14,89,12.59	10,92,23.98	3,96,88.61
2016-17	16,63,20.59	11,58,54.56	5,04,66.03
2017-18	14,96,97.05	11,72,14.13	3,24,82.92

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान
मूल 4,43.71 4,43.71 3,35.58 (-)1,08.13

(2) 05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान
मूल 15,99.55
पूरक 5.00
16,04.55 12,79.46 (-)3,25.09

(3) 06 आई.टी.सेल
मूल 71.00 71.00 61.12 (-)9.88

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
मूल 1,14.44 1,14.44 55.01 (-)59.43

102 आर्थिक विकास

(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 20,00.00
पूरक 20,00.00
40,00.00 10,29.72 (-)29,70.28

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(6) 06 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद् का गठन			
मूल	13.50	13.50	3.34 (-)10.16
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(7) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,48.57	2,48.57	28.56 (-)2,20.01
(8) 04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	1,28.81	1,28.81	82.59 (-)46.22
(9) 05 दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार			
मूल	7.00	7.00	0.38 (-)6.62
(10) 07 विकलांग युवकों/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन			
मूल	50.00	50.00	24.64 (-)25.36
(11) 09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन			
मूल	40.00	40.00	0.95 (-)39.05
(12) 11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम			
मूल	59.82	59.82	45.22 (-)14.60
102 बाल कल्याण			
(13) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,49,59.48		
		5,08,29.99	3,93,11.41 (-)1,15,18.58
पूरक	58,70.51		
(14) 04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र			
मूल	2,74.65	2,74.65	2,45.19 (-)29.46
(15) 05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना			
मूल	56.16	56.16	26.15 (-)30.01

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें			
	मूल	60.01		
			67.01	(-)26.20
	पूरक	7.00		
(17)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन			
	मूल	9,11.35	9,11.35	(-)2,56.61
(18)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था			
	मूल	25,58.62	25,58.62	(-)13,14.11
(19)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100 प्रतिशत राज्य योजना)			
	मूल	2,00.00	2,00.00	(-)42.53
	103 महिला कल्याण			
(20)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना			
	मूल	1,28.16	1,28.16	(-)70.61
(21)	13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण			
	मूल	50.00	50.00	(-)17.60
(22)	14 मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन			
	मूल	1,37.20	1,37.20	(-)25.46
(23)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अंतर्वासियों के पुनर्वाव एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता			
	मूल	20.00	20.00	(-)13.84
(24)	18 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था			
	मूल	25.00		
			35.00	(-)13.08
	पूरक	10.00		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	19 परिवीक्षा सेवा मुख्यालय मूल	73.04	73.04	59.56 (-)13.48
(26)	29 नन्दा गौरा योजना मूल	90,00.00	89,70.00	22,91.02 (-)66,78.98
	पुनर्वि०	(-)30.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2019 को ₹ 30.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(27)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	40.16	40.16	25.67 (-)14.49
(28)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	80.60	80.60	65.64 (-)14.96
(29)	06 मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना मूल	1,00.00	1,00.00	47.00 (-)53.00
(30)	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 03 मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान मूल	22.00	48.03	38.79 (-)9.24
	पूरक	26.03		
(31)	200 अन्य कार्यक्रम 04 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान मूल	5,00.00	5,00.00	3,32.00 (-)1,68.00
(32)	09 समाज कल्याण योजनायें अनुश्रवण समिति मूल	10.00	10.00	2.06 (-)7.94
(33)	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	58,72.60	58,72.60	26,10.32 (-)32,62.28

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(34) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	14,13.40		
		15,53.40	5,27.19 (-)10,26.21
पूरक	1,40.00		
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम			
(35) 03 सैनिक कल्याण			
मूल	40,04.82		
पूरक	2,04.68	37,90.53	37,80.53 (-)10.00
पुनर्वि०	(-4,18.97)		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 4,18.97 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			
(36) 08 राज्य आन्दोलनकारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा			
मूल	1,20.00		
		97.84	97.84 0.00
पुनर्वि०	(-)22.16		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 22.16 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
00			
800 अन्य व्यय			
(37) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	38.03	38.03	15.18 (-)22.85
(38) 03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान			
मूल	58.52	58.52	50.86 (-)7.66
(39) 04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान			
मूल	79.18	79.18	61.67 (-)17.51

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(40)	16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल	4,03.00	4,03.00	79.36	(-)3,23.64
(41)	18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल	1,06.26	1,17.14	75.58	(-)41.56
	पुनर्वि०	10.88			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2019 को ₹ 10.88 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात ₹ 41.56 लाख के अंतिम बचत प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है				
(42)	21 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान मूल	1,49.86	1,49.86	1,00.88	(-)48.98
(43)	24 अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मूल	10.00	10.00	3.54	(-)6.46
(44)	29 वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता मूल	10.00	10.00	5.00	(-)5.00

2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

00

092 अन्य कार्यालय

(45)	07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा मूल	1,00.00	35.79	35.79	0.00
	पुनर्वि०	(-)64.21			

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 64.21 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

800 अन्य व्यय

(1)	04 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

277 शिक्षा

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	12,90.00		
			18,61.08	0.00
	पूरक	5,71.08		(-)18,61.08

(3)	02 शहीद उधमसिंह कम्बोज छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5.00

(4)	06 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5.00

800 अन्य व्यय

(5)	09 बाबा साहेब फुले योजना			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5.00

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	13 विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल 25.00 25.00 वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)25.00
(7)	102 बाल कल्याण 10 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन मूल 20.00 20.00 वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)20.00
(8)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना) मूल 10.00 10.00 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.00
(9)	14 पोषक मापक/स्तनपान योजना (राज्य योजना) मूल 12.00 12.00	0.00	(-)12.00
(10)	17 किशोरी न्याय निधि की स्थापना मूल 20.00 पूरक 75.00	95.00	0.00 (-)95.00
(11)	103 महिला कल्याण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 50.00 50.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)50.00
(12)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मूल 5.00 5.00 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)5.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	22 परित्यक्त महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(14)	104 वृद्ध , अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण 07 सवैक्षिक संस्था के माध्यम से पारबों में वृद्ध एवं अशक्त के लिए आश्रम का संचालन मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(15)	200 अन्य कार्यक्रम 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 20,10.00	20,10.00	0.00 (-)20,10.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(16)	06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(17)	11 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण) मूल 20.51	20.51	0.00 (-)20.51
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(18)	800 अन्य व्यय 14 वन अधिकारी अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन मूल 11.00	11.00	0.00 (-)11.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(20)	08 डंगारियों एवं जगरियों को मासिक पेंशन मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
00			
800 अन्य व्यय			
(21)	05 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100 प्रति शत के 0 स 0) मूल 6,50.00	6,50.00	0.00 (-)6,50.00
(22)	06 मदरसों हेतु विविध अनुदान मूल 2,00.01	2,00.01	0.00 (-)2,00.01
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(23)	08 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता मूल 1,10.00	1,10.00	0.00 (-)1,10.00
(24)	09 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(25)	11 अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल 30.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)30.00		
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2019 को ₹ 17.00 लाख तथा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹ 13.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26) 14 संत केसर सिंह स्मृति सहायता कोष मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(27) 17 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(28) 19 मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनैस फाउण्डेशन मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(29) 26 मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(30) 27 उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(31) 28 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(32) 30 मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्राओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(33) 31 अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

00

092 अन्य कार्यालय

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	06 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद मूल 37.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)37.00		0.00
	बचत के कारण ₹ 37.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किये गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

103 महिला कल्याण

(1) 23 निर्भय योजना

मूल 50.00

पूरक 10.00 90.00 65.13 (-)24.87

पुनर्वि० 30.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2019 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ

00

800 अन्य व्यय

(2) 15 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड

मूल 47.79

66.91 66.78 (-)0.13

पुनर्वि० 19.12

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2019 को ₹ 6.12 लाख तथा दिनांक 18 फरवरी 2019 को ₹13.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹42,41.93 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹2,26.02 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (viii) ₹42,41.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹9,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	32,55.62	25,80.28	6,75.34
2014-15	1,57,03.85	82,75.02	74,28.83
2015-16	56,56.07	17,43.61	39,12.46
2016-17	36,28.07	18,61.58	17,66.49
2017-18	64,55.44	20,54.03	44,01.41

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

103 महिला कल्याण

- (1) 09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण
- | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-------------|
| मूल | 1,00.00 | | | |
| | | 3,00.00 | 1,69.57 | (-),1,30.43 |
| पूरक | 2,00.00 | | | |

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम

200 अन्य कार्यक्रम

- (2) 03 सैनिक कल्याण
- | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|------|
| मूल | 2,41.00 | | | |
| | | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-),2,26.02 | | | |

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,26.02 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

800 अन्य व्यय

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 22,00.00

27,00.00 19,38.16 (-)7,61.84

पूरक 5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) तथा (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए ।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

03 पिछड़ें वर्गों का कल्याण

277 शिक्षा

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 25,15.00 25,15.00 0.00 (-)25,15.00

(3) 03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण

मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 (-)1,00.00

वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00 वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	06 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण मूल 13.00 13.00 0.00 (-)13.00		
(6)	103 महिला कल्याण 10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना) मूल 3,00.00 3,00.00 0.00 (-)3,00.00		

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

800 अन्य व्यय

(7)	12 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन मूल 40.00 40.00 0.00 (-)40.00 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

दत्तमत-

मूल	3,42,92,03		
		3,68,17,83	2,21,60,48
			(-)1,46,57,35
पूरक	25,25,80		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			24,97,25

पूंजीगत:

- 4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	12,00,22		
		14,00,22	10,95,96
			(-)3,04,26
पूरक	2,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,46,57.35 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 24,97.25 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 1,46,57.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 25,25.80 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

			(₹ लाख में)
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	1,46,02.22	1,17,31.86	28,70.36
2014-15	2,09,58.57	1,51,38.26	58,20.31
2015-16	2,11,88.37	1,25,85.08	86,03.29
2016-17	2,19,73.67	1,47,36.92	72,36.75
2017-18	2,37,85.06	2,18,79.41	19,05.65

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	79,31.32	
	पूरक	21,55.00	89,67.20
	पुनर्वि०	(-)11,19.12	89,67.20
			0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 11,19.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, औषधि तथा रसायन में हुई बचत के कारण किए गए		
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
	01 श्रम		
	101 औद्योगिक संबन्ध		
(2)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड		
	मूल	36.49	
	पूरक	2.00	31.91
	पुनर्वि०	(-)6.58	31.91
			0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 6.58 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए		
(3)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान		
	मूल	2,12.24	
			1,46.42
	पुनर्वि०	(-)65.82	1,46.42
			0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 65.82 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए		
	102 कार्यो की परिस्थितियां तथा सुरक्षा		
(4)	03 निरीक्षण अधिष्ठान		
	मूल	1,15.81	
			94.74
	पुनर्वि०	(-)21.07	94.74
			0.00
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 21.07 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए		

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 सामान्य श्रम कल्याण			
(5) 03 श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र मूल	56.15	45.16	0.00
पुनर्वि०	(-)10.99	45.16	0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10.99 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए			
(6) 09 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण मूल	15.00	3.14	0.00
पुनर्वि०	(-)11.86	3.14	0.00
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 11.86 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
02 रोजगार सेवाएं			
004 शोध, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	38.50	38.50	(-)27.44
101 रोजगार सेवायें			
(8) 03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना मूल	1,90.51	1,90.51	(-)57.36
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(9) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	72.85	72.85	(-)36.43
(10) 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान मूल	1,08,41.83	1,10,65.13	(-)15,69.92
पूरक	2,23.30		
(11) 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	3,90.00	3,90.00	(-)2,48.82
(12) 97 वाह्य सहायतित परियोजना मूल	40,00.00	40,00.00	(-)39,99.35

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(13) 02 राज्य कौशल विकास योजना			
मूल	11,00.00	11,00.00	1,50.00 (-)9,50.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (7) से (13) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
01 श्रम			
103 सामान्य श्रम कल्याण			
(1) 06 बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण एवं पुर्नवास			
मूल	5.00		
		0.00	0.00 0.00
पुनर्वि०	(-)5.00		
बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए।			
(2) 10 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण / नवीनीकरण			
मूल	20.00		
		0.00	0.00 0.00
पुनर्वि०	(-)20.00		
बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए।			
(3) 16 आम आदमी बीमा योजना (गरीबी रेखा से नीचे) (राज्यांश)			
मूल	11,37.15		
		0.00	0.00 0.00
पुनर्वि०	(-)11,37.15		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 11,37.15 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।			
02 रोजगार सेवारं			
101 रोजगार सेवारं			
(4) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(5) 08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति			
मूल	12.30	12.30	0.00 (-)12.30

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	50.06	50.06	0.00 (-)50.06
(7) 102 शिक्षता प्रक्षिण 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	50,00.00	50,00.00	0.00 (-)50,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 3,04.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 3,04.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	5,00.00	3,46.14	1,53.86	
2014-15	74,60.00	41,32.86	33,27.14	
2015-16	15,60.00	14,70.64	89.36	
2016-17	14,24.64	12,88.71	1,35.93	
2017-18	14,25.00	10,71.22	3,53.78	

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

98 नाबार्ड पोषित

मूल	10,00.00			
पूरक	2,00.00	12,00.00	8,95.96	(-)3,04.04

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

- 2401 फसल कृषि कर्म
2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

दत्तमत-

मूल	9,18,80,36		
		11,37,96,89	9,68,12,47 (-)1,69,84,42
पूरक	2,19,16,53		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			92,54,35

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 12,16,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 93,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

- 4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	47,87,31		
		1,39,87,31	1,33,43,44 (-)6,43,87
पूरक	92,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			4,50,00

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,69,84.42 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 92,54.35 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 1,69,84.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,19,16.53 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	4,95,46.98	3,08,53.78	1,86,93.20
2014-15	5,58,47.55	4,67,38.96	91,08.59
2015-16	7,38,83.87	5,23,33.34	2,15,50.53
2016-17	8,93,88.30	6,41,85.78	2,52,02.52
2017-18	9,01,30.10	8,37,24.99	64,05.11

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,46,74.00

पूरक 1,03,87.95 2,34,85.19 1,90,26.56 (-)44,58.63

पुनर्वि० (-)15,76.76

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जून 2018 को ₹ 5,97.49 लाख, दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 10.48 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 9,68.79 लाख की कमी सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।

- (2) 04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान

मूल 1,20,09.60

पूरक 80.42 1,07,42.14 1,07,42.14 0.00

पुनर्वि० (-)13,47.88

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 13,47.88 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	06 जलागम प्रबन्ध निदेशालय/पी० एम० के० एस० वाई० मूल 70.58	56.58	56.58 0.00
	पुनर्वि० (-)14.00 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 14.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल 1,91,88.81	1,70,03.44	1,70,03.44 0.00
	पुनर्वि० (-)21,85.37 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 21,85.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
	102 खाद्यानों की फसलें		
(5)	06 जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम मूल 50.01	13.95	5.49 (-)8.46
	पुनर्वि० (-)36.06 प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2019 को ₹ 36.05 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पण के द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए ।		
	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण		
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 40,74.00	63,12.64	50,56.42 (-)12,56.22
	पूरक 16,41.16 पुनर्वि० 5,97.48 प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 11 जून 2018 को ₹ 5,97.49 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए । ₹ 12,56.22 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।		
	110 फसल बीमा		
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 4,00.00	4,00.00	3,21.77 (-)78.23

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
111 कृषि कर्म व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	60.83		
		54.17	(-)7.05
पुनर्वि०	(-)6.66		
दिनांक 31 मार्च 2019 को	₹ 6.66 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए		
2415 कृषि अनुसंधान			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(9) 03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान			
मूल	2,11,00.00		
		1,78,00.00	0.00
पुनर्वि०	(-)33,00.00		
दिनांक 31 मार्च 2019 को	₹ 33,00.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(10) 04 उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसाइ			
मूल	21,00.00		
		14,76.14	0.00
पुनर्वि०	(-)6,23.86		
दिनांक 31 मार्च 2019 को	₹ 6,23.86 लाख के अभ्यर्पण वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(11) 13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली			
मूल	1,94.86		
		60.00	0.00
पुनर्वि०	(-)1,34.86		
दिनांक 31 मार्च 2019 को	₹ 1,34.86 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(12) 14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसैण			
मूल	1,97.05		
		70.00	0.00
पुनर्वि०	(-)1,27.05		
दिनांक 31 मार्च 2019 को	₹ 1,27.05 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	15 खाद प्रद्योगिकी संस्थान डोईवाला मूल 1,59.45	57.20	57.20 0.00
	पुनर्वि० (-)1,02.25 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,02.25 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(14)	20 भरसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत माली ट्रेनिंग सेंटर, प्रतापनगर (टिहरी) मूल 32.40	5.00	5.00 0.00
	पुनर्वि० (-)27.40 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 27.40 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(15)	24 पुष्प बीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई मूल 20.00	6.60	6.60 0.00
	पुनर्वि० (-)13.40 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 13.40 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) तथा (5) से (8) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद् मूल 24.40	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)24.40 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 24.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए		

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	12 राज्य किसान आयोग का गठन		
	मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(3)	14 न्याय पंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना		
	मूल 4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(4)	15 एकीकृत कृषि ग्राम योजना		
	मूल 7,00.00	7,00.00	0.00 (-)7,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	16 कृषकों की आय दोगुना करना		
	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	102 खाद्यानों की फसलें		
(6)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम		
	मूल 3,00.03	3,00.03	0.00 (-)3,00.03
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	108 वाणिज्यिक फसलें		
(7)	05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति		
	मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(8)	06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड		
	मूल 7.75	7.75	0.00 (-)7.75
(9)	07 गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति		
	मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2415 कृषि अनुसंधान			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(10)	05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण		
	मूल 1,00.00		
		0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00		0.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(11)	08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना		
	मूल 1,00.00		
		0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00		0.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(12)	11 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कालसी (देहरादून)		
	मूल 80.00		
		0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)80.00		0.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	12 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय नारियाल गाँव (चम्पावत)		
	मूल 80.00		
		0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)80.00		0.00
	वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (10) से (13) तक बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 07 विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय

मूल 33.20

32.70 36.37 (+)3.67

पुनर्वि० (-)0.50

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए | यद्यपि प्रावधान में ₹0.50 लाख की कमी किया जाना तत्पश्चात अंतिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

103 बीज

(2) 03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र

मूल 42.01

77.93 77.92 (-)0.01

पुनर्वि० 35.92

प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2019 को ₹36.05 लाख की वृद्धि मजदूरी और विद्युत देय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.13 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए |

114 तिलहन विकास

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 47.00

57.48 57.48 0.00

पुनर्वि० 10.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 10.48 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 6,43.87 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,50.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(viii) ₹ 6,43.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 92,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

108 वाणिज्यिक फसलें

- (1) 05 सार्वजनिक / सहकारी चीनी मिलों में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण प्रतिरोधी संयंत्र की स्थापना
- | | | | | |
|-----|---------|---------|------|------------|
| मूल | 2,00.00 | 2,00.00 | 0.00 | (-)2,00.00 |
|-----|---------|---------|------|------------|
- वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

800 अन्य व्यय

- (2) 06 भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|
| मूल | 4,00.00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- पुनर्वि० (-)4,00.00
बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए |

- (3) 07 पन्तनगर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावासों का निर्माण
- | | | | | |
|-----|-------|------|------|------|
| मूल | 50.00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- पुनर्वि० (-)50.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए |

- (4) 98 नाबार्ड पोषित
- | | | | | |
|-----|---------|---------|------|------------|
| मूल | 8,00.00 | 8,00.00 | 0.00 | (-)8,00.00 |
|-----|---------|---------|------|------------|
- वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |
- उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(x) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

103 बीज

(1)	03 खाद्यान/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित				
	मूल	0.00	0.00	8,10.45	(+8,10.45

107 वनस्पति संरक्षण

(2)	03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है				
	मूल	0.00	0.00	10,00.00	(+10,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत ₹ 21,36.18 लाख की वसूली प्राप्त हुई है (परिशिष्ट-II)

|

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

2425 सहकारिता

दत्तमत-

मूल	89,40,67			
		94,43,67	77,97,98	(-)16,45,69
पूरक	5,03,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

पूंजीगत:

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	4,68,20			
		4,68,20	3,13,59	(-)1,54,61
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 16,45.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 16,45.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 5,03.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	44,30.52	35,77.35	8,53.17
2014-15	46,87.97	38,94.62	7,93.35
2015-16	45,27.81	38,67.72	6,60.09
2016-17	49,91.91	33,22.76	16,69.15
2017-18	62,06.50	59,22.34	2,84.16

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2425 सहकारिता			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 सहकारिता न्यायधिकरण		
	मूल	1,49.66	1,49.66
			65.90
			(-)83.76
(2)	06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण		
	मूल	80.05	80.05
			39.64
			(-)40.41
106 बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता			
(3)	02 उर्वरक परिवहन पर राज सहायता		
	मूल	1,25.00	1,25.00
			80.00
			(-)45.00
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(4)	02 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारंटी योजना		
	मूल	40.00	40.00
			10.00
			(-)30.00
800 अन्य व्यय			
(5)	30 सहकारी संस्थागत सेवामंडल हेतु अनुदान		
	मूल	15.00	15.00
			7.50
			(-)7.50
(6)	31 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना		
	मूल	30,00.00	30,00.00
			16,59.97
			(-)13,40.03

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2425 सहकारिता

00

800 अन्य व्यय

28 उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 1,54.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

00

800 अन्य कर्ज

04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निमग द्वारा पोषित)

मूल	2,81.25	2,81.25	1,27.95	(-)1,53.30
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्रामीण रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

मूल	9,10,83,41			
		10,04,00,58	7,98,09,17	(-)2,05,91,41
पूरक	93,17,17			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			23,71,24

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 18,68,96 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
------	-------------------------------------------------

दत्तमत-

मूल	13,82,16,27			
		15,07,16,27	15,09,95,73	(+)2,79,46
पूरक	1,25,00,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,05,91.41 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 23,71.24 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,05,91.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 93,17.17 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	4,92,35.35	3,13,12.90	1,79,22.45
2014-15	12,72,86.10	6,21,39.97	6,51,46.13
2015-16	9,07,10.29	7,80,13.98	1,26,96.31
2016-17	11,17,99.42	6,32,34.26	4,85,65.16
2017-18	12,12,25.33	6,54,43.91	5,57,81.42

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

003 प्रशिक्षण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 80,00.00

50,00.00 24,43.48 (-)25,56.52

पुनर्वि० (-)30,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को ₹ 30,00.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।

2505 ग्रामीण रोजगार

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 2,20,00.00

2,20,00.00 1,82,23.13 (-)37,76.87

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान

मूल 3,42.94

3,42.94 2,91.24 (-)51.70

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान		
	मूल	1,66.61	
	पूरक	1.00	1,32.24
	पुनर्वि०	(-)35.37	1,29.33
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 35.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किये गए		
(5)	06 ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज		
	मूल	77.24	
			14.73
	पुनर्वि०	(-)62.51	14.73
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 62.51 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, कार्यालय व्यय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए		
	101 पंचायती राज		
(6)	19 युवा कल्याण (क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान		
	मूल	7,32.27	
			6,09.44
	पुनर्वि०	(-)1,22.83	6,09.44
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,22.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किये गए		
(7)	20 क्षेत्र पंचायतो के अधीन स्थानान्तरित (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)		
	मूल	67,42.10	
	पूरक	3,85.52	54,46.01
	पुनर्वि०	(-)16,81.61	54,46.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 1,80.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पण के द्वारा ₹ 15,01.61 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(8) 102 सामुदायिक विकास 03 अधिष्ठान	मूल 1,78,08.32	1,78,48.82	1,42,11.79	(-)36,37.03
	पूरक 40.50			
(9) 18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल 47.26	47.76	35.82	(-)11.94
	पूरक 0.50			
(10) 26 डी० आर० डी० ए० प्रकोष्ठ	मूल 35.03	35.03	29.15	(-)5.88
(11) 28 इंदिरा अम्मा भोजनालय योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान	मूल 5,00.00	5,00.00	2,20.05	(-)2,79.95
(12) 34 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	मूल 1,78.45	1,80.45	77.74	(-)1,02.71
	पूरक 2.00			
(13) 38 पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत सेन्टेज चार्ज, एस० क्यू० सी० सी०, तथा पी० एम० सी० का भुगतान	मूल 30,00.00	30,00.00	9,00.06	(-)20,99.94
(14) 97 आईफेड वाहय सहायतित योजना	मूल 1,25,00.00			
	पूरक 29,53.47	1,25,00.00	1,25,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)29,53.47			
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को ₹ 29,53.47 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए </p> <p>उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4) एवं (8) से (13) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) </p>				

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 12 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना
मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(2) 29 राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भुगतान
मूल 80.00 80.00 0.00 (-)80.00

(3) 35 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना
मूल 2,20.00 2,20.00 0.00 (-)2,20.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

800 अन्य व्यय

(4) 08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था
मूल 1,56.04 1,56.04 0.00 (-)1,56.04

(5) 09 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुश्रवण परिषद् की स्थापना
मूल 7.00 7.00 0.00 (-)7.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(6) 13 स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रियाशील पूंजी
मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 (-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 33,00.01

पूरक 33,22.54 1,22,65.52 81,53.47 (-)41,12.05

पुनर्वि० 56,42.97

प्रावधान में ₹ 56,42.97 लाख की वृद्धि ₹ 59,53.47 लाख तथा ₹ 3,10.50 लाख के पुनर्विनियोग का शुद्ध प्रभाव था। प्रावधान में दिनांक 29 जून 2018 को ₹59,53.47 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई तथा प्रावधान में दिनांक 11 फरवरी 2019 को ₹ 3,10.50 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

101 पंचायती राज

(2) 03 पंचायती राज अधिष्ठान

मूल 8,45.32

पूरक 22.74 8,94.76 8,94.76 0.00

पुनर्वि० 26.70

प्रावधान में ₹ 26.70 लाख की वृद्धि ₹ 1,80.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹3,10.50 लाख के अभ्यर्पण का शुद्ध प्रभाव था। प्रावधान में दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 1,80.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,53.30 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए।

102 सामुदायिक विकास

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 2,10.01

पूरक 15,00.00 20,20.51 19,03.88 (-)1,16.63

पुनर्वि० 3,10.50

प्रावधान में दिनांक 11 फरवरी 2019 को ₹ 3,10.50 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) तथा (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹2,79.46 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (viii) ₹2,79.46 लाख के आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹1,25,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्योप्त सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	3,00,68.50	2,37,86.55	62,81.95
2014-15	8,23,44.76	6,03,81.72	2,19,63.04
2015-16	7,86,11.27	7,34,31.39	51,79.88
2016-17	7,72,10.37	7,01,84.66	70,25.71
2017-18	11,83,16.27	11,28,00.04	55,16.23

- (x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
| मूल | 10,00,35.00 | | | |
| | | 11,00,35.00 | 11,30,47.04 | (+30,12.04 |
| पूरक | 1,00,00.00 | | | |
- (2) 03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/ एन.पी.बी. का भूगतान
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|--------|
| मूल | 40,00.00 | 40,00.00 | 40,02.15 | (+2.15 |
|-----|----------|----------|----------|--------|

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

00

(1)	102 सामुदायिक विकास 12 मेरा गाँव मेरी सड़क मूल	5,00.00	5,00.00	2,63.66	(-),2,36.34
(2)	98 नाबार्ड पोषित मूल	35,00.00	35,00.00	11,01.63	(-),23,98.37

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

00

	102 सामुदायिक विकास 19 आयुक्त, ग्राम विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-),1,00.00
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2702	लघु सिंचाई
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल विकास

दत्तमत-

मूल	4,94,00,70			
		5,00,17,70	4,27,96,45	(-)72,21,25
पूरक	6,17,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			4,27,50

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹1,68,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	4,26,28,02			
		4,68,19,59	3,65,92,26	(-)1,02,27,33
पूरक	41,91,57			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			67,34,35

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹13,50,15 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹72,21.25 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,27.50 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹72,21.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹6,17.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	3,63,34.52	3,26,86.49		36,48.03
2014-15	4,25,38.62	3,61,98.14		63,40.48
2015-16	4,09,01.64	3,59,44.86		49,56.78
2016-17	4,61,65.46	3,61,08.45	1,00,57.01	
2017-18	4,44,19.71	4,07,61.96		36,57.75

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

00

001 निर्देशन एवं प्रशासन

- (1) 03 निर्देशन
मूल 45,11.15 45,11.15 39,01.97 (-)6,09.18
- (2) 04 कार्यकारी अधिष्ठान
मूल 2,99,71.66 2,99,71.66 2,58,07.49 (-)41,64.17
- (3) 05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था
मूल 6,00.00
4,22.46 1,77.59 (-)2,44.87
पुनर्वि० (-)1,77.54
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2019 को ₹ 1,77.54 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	09 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशी मूल 22.50	22.50	9.46 (-)13.04
(5)	11 उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन एवं नियामक आयोग मूल 1,00.50	1,00.50	3.10 (-)97.40
	01 सौंग बांध परियोजना हेतु व्यय 800 अन्य		
(6)	02 सौंग बांध परियोजना हेतु व्यय मूल 20,00.00	20,00.00	8,13.44 (-)11,86.56
	2702 लघु सिंचाई		
	02 भूजल		
	005 अन्वेषण		
(7)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति मूल 12.56	0.58	0.58 0.00
	पुनर्वि० (-)11.98		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 11.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मर्दों में हुई बचत के कारण किये गए		
	03 रख-रखाव		
(8)	102 लिफ्ट -सिंचाई योजनाएं 03 अनुरक्षण कार्य मूल 8,00.00	9,00.00	4,85.77 (-)4,14.23
	पूरक 1,00.00		
	80 सामान्य		
	005 अन्वेषण		
(9)	02 रेशनलाईजेशन ऑफ़ माइनर इरिगेशन मूल 1,99.65	77.97	77.97 0.00
	पुनर्वि० (-)1,21.68		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,21.68 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मर्दों में मुख्यतः वेतन एवं मानदेय हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई

00

001 निर्देशन एवं प्रशासन

08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान

मूल	7.95	7.95	0.00	(-)7.95
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2701

13 अन्य सिंचाई योजनायें

101 रख-रखाव और मरम्मत

(1) 02 अन्य रख-रखाव व्यय

मूल	2,80.00			
		3,55.00	4,15.21	(+)60.21

पूरक	75.00			
------	-------	--	--	--

15 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अनुरक्षण

101 रख रखाव और मरम्मत

(2) 02 अन्य रख रखाव व्यय

मूल	1,20.00			
		2,97.54	1,76.55	(-)1,20.99

पुनर्वि०	1,77.54			
----------	---------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2019 को ₹ 1,77.54 लाख की वृद्धि अनुरक्षण व्यय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(3) 05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि

मूल	8.00	8.00	9.32	(+)1.32
-----	------	------	------	---------

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2702 लघु सिंचाई			
03 रख-रखाव			
103 नलकूप			
(4) 03 अनुरक्षण कार्य			
मूल	47,00.00		
		47,50.00	47,84.00
			(+)34.00
पूरक	50.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(vii) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2701 मध्यम सिंचाई				
80 सामान्य				
799 उचन्त				
(1) 03 भण्डार				
मूल	0.00	0.00	4.92	(+)4.92
(2) 04 विविध निर्माण कार्य अग्रिम				
मूल	0.00	0.00	9.98	(+)9.98

(viii) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2018-19 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (ix) ₹ 1,02,27.33 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 67,34.35 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (x) ₹ 1,02,27.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 41,91.57 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 35,00.00

24,66.24 2,98.98 (-)21,67.26

पुनर्वि० (-)10,33.76

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2019 को ₹ 2,31.68 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2019 को ₹ 8,02.08 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>04 नलकूपों का निर्माण</i>			
051 निर्माण			
(2)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	50.00	
	पूरक	1,00.00	1,67.59
	पुनर्वि०	17.59	67.59
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 17.59 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(3)	98 नाबाई पोषित		
	मूल	35,00.00	35,00.00
			24,41.17
			(-)10,58.83
<i>06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरों अन्य योजनाएं</i>			
051 निर्माण			
(4)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	50.00	
			91.57
	पूरक	41.57	43.92
			(-)47.65
<i>18 बांध बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार</i>			
051 निर्माण			
(5)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	10,00.00	
			5,79.16
	पुनर्वि०	(-)4,20.84	2,12.87
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 4,03.25 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 17.59 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>80 सामान्य</i>			
003 प्रशिक्षण			
(6)	03 निर्माण कार्य		
	मूल	50.00	50.00
			37.71
			(-)12.29

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण			
(7) 03 निर्माण कार्य			
मूल	80.00	80.00	65.19 (-)14.81
051 निर्माण			
(8) 04 निरीक्षण/कार्यालयों भवनों का निर्माण			
मूल	80.00	80.00	24.15 (-)55.85
(9) 08 बलिया नाला का उपचार			
मूल	0.00		
पूरक	2,00.00	2,00.00	10.62 (-)1,89.38
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
(10) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,00,03.00		
पुनर्वि०	(-)67,34.35	32,68.65	32,78.59 (+)9.94
दिनांक 31 मार्च 2019 को 67,34.35 लाख के अभ्यर्पण का कारण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(11) 06 नदी प्रशिक्षण राज्य सेक्टर से पोषित			
मूल	3,00.00		
पूरक	1,00.00	4,00.00	2,85.91 (-)1,14.09
(12) 07 मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संपादन			
मूल	0.00		
पूरक	5,00.00	5,00.00	4,38.01 (-)61.99

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

00

052 मशीनरी तथा उपस्कर

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

13 सौंग बांध का निर्माण

051 निर्माण

(2)	02 अन्य रख रखाव व्यय			
	मूल	20,00.00		
			0.00	0.00
				0.00

पुनर्वि० (-)20,00.00

पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को ₹ 17,91.91 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 2,08.09 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की कमी अन्य रख रखाव व्यय में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(3)	05 वाह्य सहायतित योजनाओं का निर्माण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(4)	06 नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00

(5)	07 नदियों एवं झील का पुनर्जीवीकरण			
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जमरानी बांध			
051 निर्माण			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	20,00.00	
		41,95.16	41,95.16
	पुनर्वि०	21,95.16	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 21,95.16 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास			
051 निर्माण			
(2)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	0.01	
		2,08.10	2,08.09
	पुनर्वि०	2,08.09	(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को ₹ 2,08.09 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	0.01	
		10,33.77	8,32.01
	पुनर्वि०	10,33.76	(-)2,01.76
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2019 को ₹ 2,31.68 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2019 को ₹ 8,02.08 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(4)	03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		7,17.42	(+)6,17.42
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (4) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)		

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xiv)	बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:		
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	11 उच्चन्त		
	799 उच्चन्त		
(1)	03 भण्डार		
	मूल	0.00	0.00
			21,91.15
			(+)21,91.15
(2)	04 विविध कार्यों हेतु अग्रिम राशि		
	मूल	0.00	0.00
			52.87
			(+)52.87
	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	00		
	800 अन्य व्यय		
(3)	91 उच्चन्त-उच्चन्त से निर्माण कार्यों को सामग्री का निर्गमन		
	मूल	0.00	0.00
			57.65
			(+)57.65
(xv)	उच्चन्त लेन-देन		
	टिप्पणी (viii) के अनुसार		
	उच्चन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2018-19 के पूंजीगत प्रभाग परिशिष्ट-IV में दिया गया है		

अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

2801 बिजली
2810 नई एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा

दत्तमत-

मूल	12,63,86			
		13,23,86	11,10,86	(-),13,00
पूरक	60,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

पूंजीगत:

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	3,07,30,06			
		3,17,30,06	2,44,14,98	(-),73,15,08
पूरक	10,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹2.13.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹2,13.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹60.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	7,21.43	6,25.55	95.88
2014-15	26,78.96	5,10.61	21,68.35
2015-16	23,43.12	18,62.39	4,80.73
2016-17	17,66.12	17,40.97	25.15
2017-18	11,51.21	11,29.08	22.13

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2801 बिजली

05 प्रेषण एवं वितरण

800 अन्य व्यय

03 ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन

मूल 22.84

32.84

19.86

(-)12.98

पूरक 10.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2810 नई एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा

02 सोलर एनर्जी

101 सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

03 सोलर एनेर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता

मूल 2,00.00

2,00.00

0.00

(-)2,00.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

पूँजीगत:**दत्तमत-**

(vi) ₹73,15.08 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹73,15.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	6,19,94.02	2,94,18.05	3,25,75.97
2014-15	4,92,71.07	1,31,05.00	3,61,66.07
2015-16	2,13,90.37	1,11,48.37	1,02,42.00
2016-17	4,80,64.02	1,66,59.30	3,14,04.72
2017-18	3,39,00.02	1,42,32.96	1,96,67.06

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु युजेवीएनएल में निवेश

मूल 70,00.00

7,77.00

7,77.00

0.00

पुनर्वि० (-)62,23.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 62,23.00 लाख की कमी निवेश/ऋण में हुई बचत के कारण किये गए |

(2) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल 20,00.01

15,35.16

15,35.15

(-)0.01

पुनर्वि० (-)4,64.85

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 4,64.85 लाख की कमी निवेश/ऋण में हुई बचत के कारण किये गए |

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(3) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल 80,00.01

80,00.01

58,13.89

(-)21,86.12

(4) 98 नाबार्ड पोषित

मूल 13,50.00

13,50.00

6,11.34

(-)7,38.66

05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(5) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल 42,80.00

42,80.00

4,89.75

(-)37,90.25

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन

मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

(2) 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु किसानों का परिश्रम लि० में निवेश

मूल	0.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
पूरक	5,00.00			

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(3) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)15,00.00			

पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की कमी निवेश/ऋण में हुई बचत के कारण किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश

मूल	25,00.00			
पूरक	5,00.00	1,11,87.85	1,11,87.85	0.00
पुनर्वि०	81,87.85			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 81,87.85 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2059	लोक निर्माण कार्य
2216	आवास
3054	सड़क तथा सेतु

दत्तमत-

मूल	8,22,42,34			
		8,75,36,29	7,16,30,12	(-)1,59,06,17
पूरक	52,93,95			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				72,03,40

भारित-

मूल	11,00,00			
		11,00,00	4,86,57	(-)6,13,43
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				42,30

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	12,20,50,01			
		13,91,50,01	13,24,88,43	(-)66,61,58
पूरक	1,71,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				1,00,40,07

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 1,11,64,35 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,59,06.17 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 72,03.40 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,59,06.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 52,93.95 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	5,86,43.02	4,90,77.63	95,65.39
2014-15	7,84,54.82	5,79,09.42	2,05,45.40
2015-16	6,57,12.03	5,37,57.33	1,19,54.70
2016-17	7,07,65.91	6,46,00.64	61,65.27
2017-18	7,05,45.93	6,41,83.69	63,62.24

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु
मूल 6,00.00 6,00.00 3,65.96 (-)2,34.04

051 निर्माण

(2) 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड
मूल 4,82,32.75
पूरक 49.50
4,82,82.25 4,23,82.20 (-)59,00.05

102 रख-रखाव तथा मरम्मत

(3) 06 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत
मूल 1,97.00
पुनर्वि० (-)6.90
1,90.10 1,72.83 (-)17.27

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 6.90 लाख के अभ्यर्पण विद्युत् देय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय तथा अनुरक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3054 सड़क तथा सेतु			
<i>01 राष्ट्रीय राजमार्ग</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 40,00.00		
		21,46.26	1,32.90 (-)20,13.36
	पुनर्वि० (-)18,53.74		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 18,53.74 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
<i>03 राज्य राजमार्ग</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(5)	05 सड़क सुरक्षा		
	मूल 0.00		
	पूरक 2,00.00	1,58.77	75.26 (-)83.51
	पुनर्वि० (-)41.23		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 41.23 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
<i>04 जिला एवं अन्य सड़के</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(6)	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत		
	मूल 2,30,50.00		
	पूरक 50,02.50	2,27,61.35	2,23,27.56 (-)4,33.79
	पुनर्वि० (-)52,91.15		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 52,91.15 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		
(v)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:		

2216 आवास

01 सरकारी रिहायसी भवन

700 अन्य आवास

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

04 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण			
मूल	2,70.00		
पुनर्वि०	(-)0.10	2,69.90	2,78.07 (+)8.17

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.10 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए | यद्यपि प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात् अंतिम आधिक्य प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 6,13.43 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 42.30 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	4,33.00	2,58.05	1,74.95	
2014-15	4,99.00	27.61	4,71.39	
2015-16	5,09.00	0.26	5,08.74	
2016-17	7,40.00	6,01.77	1,38.23	
2017-18	7,30.00	3,34.80	3,95.20	

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

01 कार्यालय भवन

053 रख-रखाव तथा मरम्मत

- (1) 03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित)

मूल	3,10.00			
पुनर्वि०	(-)32.78	2,77.22	2,77.18	(-)0.04

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 32.78 लाख के अभ्यर्पण विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, लघु कार्य तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
2216 आवास			
01 सरकारी रिहायसी भवन			
700 अन्य आवास			
(2) 03 निर्माण			
मूल	90.00		
		80.48	80.46
			(-)0.02
पुनर्वि०	(-)9.52		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 9.52 लाख के अभ्यर्पण विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, लघु कार्य तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किये गए			

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़के				
337 सड़क निर्माण कार्य				
(3) 06 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारित)				
मूल	7,00.00	7,00.00	1,28.92	(-)5,71.08
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)				

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (ix) ₹66,61.58 लाख की अंतिम बचत में, ₹1,00,40.07 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए |
- (x) ₹66,61.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹1,71,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य				
051 निर्माण				
(1) 02 लोक निर्माण (नए कार्य)				
मूल	20.00	20.00	0.11	(-)19.89

5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

- 03 राजमार्ग
- 052 मशीनरी तथा उपकरण

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	05 नई खरीद मूल 2,00.00	1,70.78	1,70.69 (-)0.09
	पुनर्वि० (-)29.22 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 29.22 लाख के अभ्यर्पण मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र में हुई बचत के कारण किये गए		
(3)	101 पुल 03 पुलों का निर्माण और सुदृढीकरण मूल 35,00.00	27,39.94	26,52.21 (-)87.73
	पुनर्वि० (-)7,60.06 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,60.06 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
	04 जिला तथा अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य		
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,00,00.01	47,60.97	47,65.92 (+)4.95
	पुनर्वि० (-)52,39.04 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 52,39.04 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
(5)	04 पुल/सड़क/भवन हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 30,00.00	24,02.71	21,87.81 (-)2,14.90
	पुनर्वि० (-)5,97.29 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5,97.29 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
(6)	06 क्रोनिक स्लिप जोन के ट्रीटमेंट हेतु प्रावधान मूल 5,00.00	77.75	1,76.55 (+)98.80
	पुनर्वि० (-)4,22.25 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 4,22.25 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए ₹ 98.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए		

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	97 वाह्य सहायतित योजना का सशक्तीकरण/ ए.डी.बी./विश्व बैंक सयोजना के अंतर्गत सुदृढीकरण		
	मूल	65,00.00	
		36,90.83	37,07.97
	पुनर्वि०	(-28,09.17	(+)17.14
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को ₹ 26,00.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,09.17 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		

05 सड़कें

(8)	337 सड़क निर्माण कार्य			
	02 विशेष योजनागत सहायता के अंतर्गत पुलों/ सड़कों का निर्माण			
	मूल	20,00.00		
		13,79.05	13,79.06	(+)0.01
	पुनर्वि०	(-6,20.95		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 6,20.95 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (3) एवं (5) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (4), (6), (7) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

05 सड़कें

(1)	337 सड़क निर्माण कार्य			
	03 मुख्य नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे डकट का निर्माण			
	मूल	5,00.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-5,00.00		
	बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रवधान अभ्यर्पित किये गए			

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

80 सामान्य

190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(2) 03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूजी

मूल 2,00.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रवधान अभ्यर्पित किये गए ।

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

04 जिला तथा अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

05 बाढ़ एवं भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

मूल 10,00.00

9,40.50 10,67.68 (+)1,27.18

पुनर्वि० (-)59.50

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 59.50 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए । यद्यपि ₹ 59.50 लाख के अभ्यर्पण के पश्चात अंतिम आधिक्य का परिलक्षित होना बजट प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।

(xiv) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

03 राजमार्ग

799 उचन्त

(1) 03 भण्डार

मूल 0.00

0.00 30,04.88 (+)30,04.88

(2) 04 विविध निर्माण कार्य अग्रिम

मूल 0.00

0.00 32,26.79 (+)32,26.79

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

(xv) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेचीं गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2018-19 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	2,34,52,16			
		2,50,87,27	1,97,83,36	(-)53,03,91
पूरक	16,35,11			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹81,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय
4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	73,36,01			
		73,36,01	26,68,46	(-)46,67,55
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹53,03.91 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹53,03.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹16,35.11 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	92,16.28	71,27.74	20,88.54
2014-15	93,59.50	79,57.12	14,02.38
2015-16	1,59,90.24	1,25,24.40	34,65.84
2016-17	2,30,57.76	1,24,17.98	1,06,39.78
2017-18	1,83,45.47	1,40,44.13	43,01.34

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की का अधिष्ठान

मूल	13,51.78	13,51.78	11,68.15	(-)1,83.63
-----	----------	----------	----------	------------

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(2) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	27,14.13	27,25.13	21,87.80	(-)5,37.33
-----	----------	----------	----------	------------

पूरक 11.00

(3) 25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान

मूल	89.67	89.67	50.02	(-)39.65
-----	-------	-------	-------	----------

(4) 29 एम0 एस0 एम0 ई0 अवस्थापना विकास निधि

मूल	3,00.00	1,01.50	1,01.40	(-)0.10
-----	---------	---------	---------	---------

पुनर्वि० (-)1,98.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 1,98.50 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	34 एम0 एस0 एम0 ई0 परियोजना प्रबंधन ईकाई (पी.एम.यू) की स्थापना मूल 50.00	50.00	14.38 (-)35.62
(6)	103 हथकरघा उद्योग 10 नन्दा देवी योजना मूल 50.00	50.00	25.00 (-)25.00
(7)	14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना मूल 10.00	10.00	5.00 (-)5.00
(8)	16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता मूल 10.00	10.00	5.00 (-)5.00
(9)	17 राजकीय डिजाईन केंद्र काशीपुर का सुधारीकरण एवं प्रशिक्षण योजना मूल 1,00.00	1,00.00	50.00 (-)50.00
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
<i>02 खानों का विनियमन तथा विकास</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10)	02 आवेदन शुल्क की वापसी मूल 2,00.00	2,00.00	23.00 (-)1,77.00
(11)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल 10,67.91	10,92.01	8,90.65 (-)2,01.36
	पूरक 24.10		
102 खनिज खोज			
(12)	03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल 1,15.00	1,15.00	9.31 (-)1,05.69
(13)	04 खनन सर्विलांश मूल 1,35.16	1,35.16	27.19 (-)1,07.97

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

004 अनुसंधान और विकास

(14)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना			
	मूल	3,66.42	3,66.42	2,26.25
				(-),1,40.17

(15)	14 जैव तकनीकी कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान			
	मूल	2,00.00		
			2,00.01	1,00.00
	पूरक	0.01		(-),1,00.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

101 औद्योगिक परिसम्पत्ति

(1)	02 मेगा टेक्सटाइल पालिसी			
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00
				(-),10,00.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	03 मेगा इन्डिस्ट्रियल पालिसी 2015			
	मूल	22,00.00		
			20,00.00	0.00
				(-),20,00.00

पुनर्वि० (-),2,00.00

पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

102 लघु उद्योग

(3)	21 क्लस्टर विकास योजना			
	मूल	1,00.00		
			2.00	0.00
				(-),2.00

पुनर्वि० (-),98.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 98.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	42 सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन मूल 2,00.00	0.50	0.00	(-)0.50
	पुनर्वि० (-)1,99.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 1,99.50 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(5)	97 बाह्य सहायतित परियोजाएं मूल 10,00.00	50.00	0.00	(-)50.00
	पुनर्वि० (-)9,50.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 9,50.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(6)	103 हथकरघा उद्योग 11 खादी संस्थाओं को सहयोग मूल 10.00	0.50	0.00	(-)0.50
	पुनर्वि० (-)9.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 9.50 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(7)	13 समाज के निर्धन कर्मकारों बुनकरों/शिल्पकारों इत्यादि हेतु विकास योजना मूल 10.00	0.25	0.00	(-)0.25
	पुनर्वि० (-)9.75			
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 9.75 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(8)	15 जयानंद भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना मूल 10.00	0.25	0.00	(-)0.25
	पुनर्वि० (-)9.75			
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 9.75 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

02 खानों का विनियमन तथा विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(9) 04 राज्य खनिज विकास परिषद्

मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

600 अन्य सेवायें

(10) 04 राज्य की आई.टी पालिसी के प्रतिपूर्ति/अनुदान

मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1) 23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूंजी उपादान सहायता

मूल	25,00.00			
-----	----------	--	--	--

	34,50.00	34,43.27	(-)6.73
--	----------	----------	---------

पुनर्वि०	9,50.00		
----------	---------	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2019 को ₹ 9,50.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(2) 30 महिला उधमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना

मूल	50.00		
-----	-------	--	--

	4,48.00	4,48.00	0.00
--	---------	---------	------

पुनर्वि०	3,98.00		
----------	---------	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 3,98.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमों को सहायता योजना		
	मूल	6,00.00	
	पूरक	10,00.00	20,22.00
	पुनर्वि०	4,22.00	20,22.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 4,22.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		0.00

**पूजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 46,67.55 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	37,61.81	9,40.76	28,21.05
2014-15	38,78.87	12,98.25	25,80.62
2015-16	76,89.04	60,59.95	16,29.09
2016-17	1,73,51.01	1,38,84.53	34,66.48
2017-18	63,74.28	5,97.59	57,76.69

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूजीगत परिव्यय

00

103 सरकारी मुद्रणालय

- (1) 03 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें, उपकरणों और सयंत्रों का क्रय
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|-------------|
| मूल | 1,50.00 | 1,50.00 | 26.95 | (-),1,23.05 |
|-----|---------|---------|-------|-------------|

4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

- (2) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|-----|----------|----------|---------|-------------|
| मूल | 10,00.00 | 10,00.00 | 2,05.67 | (-),7,94.33 |
|-----|----------|----------|---------|-------------|

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(x)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय				
	00				
	102 लघु उद्योग				
(1)	11 ग्रोथ सेंटर का संचालन				
	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजाएं				
	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00
	103 हथकरघा उद्योग				
(3)	02 हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान कि स्थापना तथा सहायता				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
	4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स				
	800 अन्य व्यय				
(4)	12 राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना				
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)				

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2041	वाहन कर
3053	नागर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत-

मूल	87,80,18			
		1,00,24,67	74,74,48	(-)25,50,19
पूरक	12,44,49			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 9,63,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,85,81,35			
		1,87,81,35	13,95,18	(-)1,73,86,17
पूरक	2,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 25,50.19 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 25,50.19 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 12,44.49 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	45,61.98	42,39.51	3,22.47
2014-15	49,21.89	43,94.62	5,27.27
2015-16	47,04.43	41,44.65	5,59.78
2016-17	65,26.11	53,56.98	11,69.13
2017-18	59,02.65	49,59.37	9,43.28

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2041 वाहन कर

00

800 अन्य व्यय

(1) 03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान

मूल	58.21	58.21	28.39	(-)29.82
-----	-------	-------	-------	----------

3053 नागर विमानन

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	10,00.00	10,00.00	25.00	(-)9,75.00
-----	----------	----------	-------	------------

(3) 09 उत्तराखण्ड सिविल उड्डयन विकास प्राधिकरण

मूल	18,00.00			
-----	----------	--	--	--

		23,00.00	13,00.00	(-)10,00.00
--	--	----------	----------	-------------

पूरक	5,00.00			
------	---------	--	--	--

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(4) 03 नागरिक उड्डयन

मूल	1,47.54	1,47.54	1,27.16	(-)20.38
-----	---------	---------	---------	----------

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)		
			(₹ लाख में)		
(5)	09 उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान				
	मूल	7,00.00	7,00.00	4,00.00	(-)3,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।				

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान				
	मूल	13.00	13.00	0.00	(-)13.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

(2)	08 उत्तराखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा/धार्मिक यात्राओं के छुट				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,73,86.17 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,73,86.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	1,22,90.05	27,71.72	95,18.33
2014-15	1,18,44.84	88,45.29	29,99.55
2015-16	70,96.01	11,75.24	59,20.77
2016-17	70,00.03	25,58.65	44,41.38
2017-18	1,52,13.06	1,32,90.41	19,22.65

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

(1) 15 बस अड्डों का निर्माण

मूल 4,00.00

6,00.00

4,00.00

(-2,00.00)

पूरक 2,00.00

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00

101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

(2) 05 बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान

मूल 10,00.00

10,00.00

5,26.89

(-4,73.11)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये
(अगस्त 2019)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(1) 03 हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण

मूल 2,00.00

3.00

0.00

(-3.00)

पुनर्वि० (-1,97.00)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2019 को ₹ 1,97.00 लाख की
कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

(2) 06 मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल लाइन का निर्माण

मूल 1,50,00.00

1,50,00.00

0.00

(-1,50,00.00)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	07 ऋषिकेश में स्वपरीक्षण लैब की स्थापना मूल 4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
(4)	08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल 10.00 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	10.00	0.00 (-)10.00
(5)	09 चालक परीक्षण हेतु सिमुलेटर का क्रय मूल 50.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	50.00	0.00 (-)50.00
(6)	10 हल्द्वानी में आई.एस.बी.टी. की स्थापना मूल 6,00.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	6,00.00	0.00 (-)6,00.00
(7)	13 रामनगर में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे की स्थापना मूल 2,00.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(8)	14 अल्मोड़ा में आई.एस.बी.टी. का निर्माण मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(9)	16 नरेंद्र नगर में बस अड्डे का निर्माण मूल 1,00.00 वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(10)	800 अन्य व्यय 03 चालकों के प्रशिक्षण हेतु आटोमोटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण मूल 1,50.00 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)	1,50.00	0.00 (-)1,50.00

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
02 विमान पत्तन			
800 अन्य व्यय			
03 हवाई पट्टी के निर्माण/ विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर/ अध्याप्ति/ एन.पी.वी. का भुगतान			
मूल	1,00.00		
		2,97.00	2,97.00
			0.00
पुनर्वि०	1,97.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2019 को ₹ 1,97.00 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत-

मूल	2,56,64,61			
		2,57,69,11	1,71,23,37	(-)86,45,74
पूरक	1,04,50			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

पूँजीगत:

4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूँजीगत परिव्यय
------	-------------------------------------------------

दत्तमत-

मूल	19,00,00			
		19,00,05	14,33,04,28	(+14,14,04,23
पूरक	5			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 86,45.74 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 86,45.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,04.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	2,53,31.83	26,77.18	2,26,54.65
2014-15	4,28,45.50	2,03,73.26	2,24,72.24
2015-16	3,32,02.61	2,02,94.73	1,29,07.88
2016-17	3,77,26.58	2,05,60.29	1,71,66.29
2017-18	2,37,70.61	1,82,35.07	55,35.54

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण

01 खाद्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)

मूल 40,24.04

पूरक 20.00 39,94.04 34,52.14 (-)5,41.90

पुनर्वि० (-)50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2018 को ₹ 50.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए |

(2) 04 राज्य खाद्य आयोग

मूल 89.99 89.99 51.92 (-)38.07

102 खाद्य सहायता

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,00,00.00 1,00,00.00 69,53.31 (-)30,46.69

(4) 05 शक्कर वितरण योजना अंतर्गत परिवहन एवं टैक्स का भुगतान

मूल 10,00.00 10,00.00 8,96.46 (-)1,03.54

(5) 06 राज्य खाद्यान्न योजना

मूल 80,00.00 80,00.00 44,33.85 (-)35,66.15

3456 सिविल पूर्ति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(6) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 50.00 50.00 6.77 (-)43.23

(7) 04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय

मूल 6,56.28

7,10.48 5,71.81 (-)1,38.67

पूरक 54.20

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 सिविल आपूर्ति योजना			
(8) 02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान			
मूल	10,00.00	10,00.00	88.40
			(-)9,11.60

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

00

106 भार और माप का विनियमन

(9) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,00.00	4,00.00	1,76.83
			(-)2,23.17

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

00

106 भार और माप का विनियमन

03 अधिष्ठान व्यय

मूल	4,44.30			
पूरक	30.30	5,24.60	4,91.87	(-)32.73
पुनर्वि०	50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2018 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत ₹ 14,14,04.23 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 4,88,55.99 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 9,25,48.24 लाख का व्ययाधिक्य है।
- (vii) ₹ 14,14,04.23 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसंबर 2018 को प्राप्त ₹ 0.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(viii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 0.00

0.04 6,98,68.61 (+)6,98,68.57

पूरक 0.04

800 अन्य व्यय

(2) 04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण
मूल 1,00.00

2,49.48 2,49.48 0.00

पुनर्वि० 1,49.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2019 को ₹ 1,49.48 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(ix) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

(1) 03 खाद्य आपूर्ति योजना
मूल 0.00

0.00 7,20,35.96 (+)7,20,35.96

800 अन्य व्यय

(2) 03 खांडसारी शक्कर योजना

मूल 0.00

0.00 6,53.77 (+)6,53.77

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,88,55.99 लाख की वसूली प्राप्त हुई है (परिशिष्ट-II) |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत निधि के प्रवधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूंजीगत परिव्यय			
01 खाद्य			
800 अन्य व्यय			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	11,00.00	11,00.00
			46.84
			(-)10,53.16
(2)	05 गोदामों का निर्माण		
	मूल	3,00.00	
		1,50.52	1,16.92
			(-)33.60
	पुनर्वि०	(-)1,49.48	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2019 को ₹ 1,49.48 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
(3)	06 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,32.70
			(-)67.30
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत-

मूल	71,77,86		
		77,01,96	62,06,35
			(-)14,95,61
पूरक	5,24,10		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

पूँजीगत:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,11,58,72		
		1,12,58,72	57,47,81
			(-)55,10,91
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 14,95.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 14,95.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 5,24.10 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	69,90.16	56,47.13	13,43.03
2014-15	1,10,80.64	68,34.17	42,46.47
2015-16	52,92.48	48,75.67	4,16.81
2016-17	58,68.03	39,98.78	18,69.25
2017-18	66,77.14	58,36.84	8,40.30

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद			
	मूल	39,50.00		
			44,60.00	36,28.97
	पूरक	5,10.00		(-)8,31.03
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	1,41.63	1,41.63	89.42
				(-)52.21
(3)	09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण			
	मूल	5,00.00	5,00.00	3,12.90
				(-)1,87.10
(4)	11 पं० दीनदयाल उपाध्याय मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना			
	मूल	2,50.00	2,50.00	32.47
				(-)2,17.53
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(5)	18 राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	4,30.59	4,30.59	3,66.68
				(-)63.91

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

23 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (व्यक्तिगत लाभार्थी)

	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
--	-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 55,10.91 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 55,10.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	78,09.44	30,41.08	47,68.36
2014-15	2,68,26.09	88,30.64	1,79,95.45
2015-16	1,57,03.03	93,92.78	63,10.25
2016-17	1,89,90.03	1,18,25.96	71,64.07
2017-18	63,30.04	58,08.30	5,21.74

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,00.01	1,00.01	86.11	(-)13.90
(2)	04 राज्य क्षेत्र				
	मूल	35,58.70			
	पूरक	1,00.00	36,58.70	23,04.79	(-)13,53.91
(3)	09 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान तथा होम स्टे योजना				
	मूल	15,00.00	15,00.00	3,56.91	(-)11,43.09
(4)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं				
	मूल	60,00.00	60,00.00	30,00.00	(-)30,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखा शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

2407 बागान

दत्तमत-

मूल	7,27,35,30			
		7,42,16,69	6,13,53,90	(-)1,28,62,79
पूरक	14,81,39			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

पूंजीगत:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	81,20,10			
		87,78,08	38,60,44	(-)49,17,64
पूरक	6,57,98			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,28,62.79 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,28,62.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 14,81.39 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	4,01,78.42	3,70,78.21	31,00.21
2014-15	5,95,57.13	4,75,64.22	1,19,92.91
2015-16	5,16,36.70	4,35,64.69	80,72.01
2016-17	6,48,38.35	4,38,30.77	2,10,07.58
2017-18	6,33,79.87	5,50,89.43	82,90.44

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण			
(1)	02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास		
	मूल	75.00	75.00
			66.89
			(-)8.11
004 अनुसंधान			
(2)	03 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र		
	मूल	44.00	
			59.26
			40.25
			(-)19.01
	पूरक	15.26	
070 संचार तथा भवन			
(3)	03 वन संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			1,05.00
			(-)45.00
101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(4)	03 वनों की सुरक्षा		
	मूल	1,30.00	1,30.00
			49.50
			(-)80.50
(5)	06 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण		
	मूल	9,22.52	
			11,22.52
			9,19.87
			(-)2,02.65
	पूरक	2,00.00	
(6)	07 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति		
	मूल	18,00.01	18,00.01
			10,26.14
			(-)7,73.87
(7)	08 वनों की सुरक्षा योजना		
	मूल	2,00.00	
			3,00.00
			1,95.94
			(-)1,04.06
	पूरक	1,00.00	

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	10 बुग्ग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन मूल 1,00.00	1,00.00	51.00 (-)49.00
(9)	11 वर्षा जल संरक्षण योजना मूल 2,00.00	2,00.00	1,30.00 (-)70.00
(10)	12 भू-क्षरण की रोकथाम योजना मूल 40.00 पूरक 1,00.00	1,40.00	38.71 (-)1,01.29
(11)	13 सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना मूल 3,33.00 पूरक 53.00	3,86.00	3,25.81 (-)60.19
(12)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 04 बांस तथा बायॉफ्यूल प्रजातियों का रोपण मूल 70.01	70.01	42.00 (-)28.01
(13)	07 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद मूल 50.00	50.00	25.00 (-)25.00
(14)	08 वोमेन कंपॉनेंट के अंतर्गत नर्सरी विकास कार्य मूल 55.00	55.00	24.82 (-)30.18
(15)	09 हमारा पेड़ हमारा धन योजना मूल 1,03.50	1,03.50	91.42 (-)12.08
(16)	97 वानिकी परियोजना (विश्व बैंक पोषित) मूल 1,00,00.01	1,00,00.01	80,00.00 (-)20,00.01
(17)	105 वन उत्पाद 03 इमारती लकड़ी कोयला आदि तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज मूल 60.00	60.00	44.88 (-)15.12

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(18) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	32,95.00		
		25,03.09	4,98.52 (-)20,04.57
पुनर्वि०	(-)7,91.91		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2018 को ₹ 7,67.76 लाख तथा दिनांक 21 फरवरी 2019 को ₹ 24.15 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(19) 17 इको टूरिज्म			
मूल	1,64.47	1,64.47	1,45.86 (-)18.61
(20) 46 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना			
मूल	4,10.00	4,10.00	1,65.00 (-)2,45.00
(21) 50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना			
मूल	2,34.00	2,34.00	1,27.85 (-)1,06.15
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीवन परीक्षण			
(22) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	43,87.07		
पूरक	3,21.12	47,32.34	36,58.93 (-)10,73.41
पुनर्वि०	24.15		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2019 को ₹ 24.15 लाख की वृद्धि लघु निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(23) 03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता			
मूल	1,00.04	1,00.04	66.67 (-)33.37
(24) 05 पर्यावरण निदेशालय का गठन			
मूल	50.07	50.07	42.00 (-)8.07
(25) 06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम			
मूल	4,01.50	4,01.50	1,95.43 (-)2,06.07

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26)	09 जीवों के वास स्थलों का विकास मूल 1,58.00	1,58.00	85.61 (-)72.39
2407 बागान			
60 अन्य			
800 अन्य व्यय			
(27)	04 बागान मूल 70.00	70.00	50.00 (-)20.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(2)	07 उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद मूल 5.37	5.37	0.00 (-)5.37
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 10 हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना मूल 41.50	41.50	0.00 (-)41.50
800 अन्य व्यय			
(4)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(5)	18 गुजर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना मूल 2,04.00	2,04.00	0.00 (-)2,04.00

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	54 जंगली सूअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण योजना		
	मूल	10.50	10.50
	वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.50
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 49,17.64 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 49,17.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 6,57.98 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास

(1)	03 वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण				
	मूल	6,50.00			
			8,50.00	5,35.83	(-)3,14.17
	पूरक	2,00.00			
(2)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनो का निर्माण एवं सुदृढीकरण				
	मूल	3,60.00	3,60.00	1,24.51	(-)2,35.49
(3)	07 इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य				
	मूल	4,00.01			
			4,60.01	3,85.00	(-)75.01
	पूरक	60.00			
(4)	11 वनों की सुरक्षा योजना				
	मूल	1,00.00	1,00.00	29.41	(-)70.59

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(5) 03 औषधीय पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन			
मूल	1,00.00	1,00.00	35.30 (-)64.70
800 अन्य व्यय			
(6) 09 इको टूरिज्म			
मूल	1,00.00	1,00.00	3.85 (-)96.15
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीव परिरक्षण			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	26,00.02	26,00.02	84.40 (-)25,15.62
111 जीव पार्क			
(8) 02 मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण			
मूल	50.00	50.00	20.14 (-)29.86
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।			
(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
01 वानिकी			
070 संचार तथा भवन			
(1) 02 आई0 टी0 पार्क देहरादून में एन0 टी0 एफ0 पी0 सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण			
मूल	0.01		
		1,97.99	0.00 (-)1,97.99
पूरक	1,97.98		
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,50.03	1,50.03	0.00 (-)1,50.03

अनुदान सं० 27 वन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	10 रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(4)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 97 वाह्य सहायतित योजना मूल 5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
(5)	800 अन्य व्यय 11 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूंजीगत कार्य मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>		
(6)	110 वन्य जीव परिरक्षण 03 वन्य जंतु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
(7)	04 जीवों के वास स्थलों का विकास मूल 80.00	80.00	0.00 (-)80.00
(8)	800 अन्य व्यय 03 पारिस्थितकीय पर्यटन निगम मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)		

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2403 पशु पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
दत्तमत-			
मूल	2,81,70,03		
		3,16,17,49	(-)25,39,18
पूरक	34,47,46		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			9,02,32
पूंजीगत:			
4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	21,72,78		
		27,27,78	(-)18,30,92
पूरक	5,55,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			16,27,88

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹25,39.18 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 9,02.32 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹25,39.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹34,47.46 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2013-14	1,60,62.34	1,35,69.65	24,92.69
2014-15	2,06,56.69	1,72,64.39	33,92.30
2015-16	2,07,06.01	1,82,85.43	24,20.58
2016-17	2,77,68.35	2,03,81.39	73,86.96
2017-18	2,60,82.30	2,38,49.63	22,32.67

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
2403 पशु पालन			
00			
106 अन्य पशुधन विकास			
(1) 15 राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना			
मूल	50.00	50.00	37.44 (-)12.56
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,66.77	1,97.11	1,24.14 (-)72.97
पुनर्वि०	(-)69.66		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 22.55 लाख, दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 3.50 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹ 44.51 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2019 को ₹ 0.90 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(3) 08 सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना			
मूल	40.00	40.00	24.44 (-)15.56
(4) 12 गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना			
मूल	4,00.00	4,00.00	2,00.00 (-)2,00.00
2405 मछली पालन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	30.00	3.38	3.38 0.00
पुनर्वि०	(-)26.62		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 26.62 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	03 अधिष्ठान मूल	10,52.45	
	पुनर्वि०	(-1,10.82)	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 1,10.82 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए	9,41.63	9,41.63 0.00
(7)	101 अन्तर्देशीय मछली पालन		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)		
	मूल	11,01.60	
	पूरक	77.00	4,16.12 4,16.12 0.00
	पुनर्वि०	(-7,62.48)	
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,62.48 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	2403 पशु पालन		
	00		
	104 भेड़ तथा ऊन विकास		
(1)	04 अहिल्याबाई होलकर भेड़-बकरी विकास योजना		
	मूल	1,00.05	
	पुनर्वि०	(-62.70)	37.35 0.00 (-)37.35
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2019 को ₹ 62.70 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किये गए		
	106 अन्य पशुधन विकास		
(2)	14 महिला बकरी पालन योजना		
	मूल	2,00.00	
	पुनर्वि०	(-2,00.00)	0.00 0.00 0.00
	पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2019 को ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
107 चारा और चारागाह विकास			
(3) 03 चारा बैंक (भंडारण/वितरण गृह) की स्थापना (राज्य सेक्टर)			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00
			(-)1,50.00
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00
			(-)3,00.00
(5) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	0.00		
		2,84.43	0.00
पूरक	2,84.43		(-)2,84.43

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2403 पशु पालन

00

101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 8,79.35

पूरक 3,00.00

पुनर्वि० 3,32.36

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹22.55 लाख, दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹3.50 लाख तथा दिनांक 01 मार्च 2019 को ₹2,62.70 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2019 को ₹44.51 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल क्रय तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2019 को ₹0.90 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए। ₹89.99 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।

पूजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹18,30.92 लाख की अंतिम बचत में से, ₹16,27.88 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)	

- (viii) ₹18,30.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹5,55.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2013-14	8,01.63	7,82.63	19.00	
2014-15	2,72.79	2,66.94	5.85	
2015-16	5,44.01	3,13.72	2,30.29	
2016-17	11,38.51	8,31.92	3,06.59	
2017-18	7,84.41	3,63.85	4,20.56	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

- (1) 10 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण
मूल 1,00.00

60.65 57.61 (-)3.04

पुनर्वि० (-)39.35

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को ₹ 39.35 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए। ₹ 3.04 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)।

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 अन्तर्देशीय मछली पालन

- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 12,29.28

9.28 9.28 0.00

पुनर्वि० (-)12,20.00

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 12,20.00 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(3)	98 नाबार्ड पोषित मूल	8,00.00		
		4,17.12	4,17.12	0.00
	पुनर्वि०	(-3,82.88)		
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 3,82.88 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।			

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

106 अन्य पशुधन विकास

(1)	98 नाबार्ड पोषित मूल	0.00		
		2,00.00	0.00	(-2,00.00)
	पूरक	2,00.00		

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	25.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-25.00)		
	बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए ।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) ।			

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

	मूल	18.50		
		57.85	57.85	0.00
	पुनर्वि०	39.35		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 39.35 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ।			

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2401 फसल कृषि कर्म			
दत्तमत-			
मूल	2,94,26,10		
		3,07,44,45	(-)44,62,21
पूरक	13,18,35		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			34,75,66

भारित-

मूल	96,50		
		1,05,98	(-)63
पूरक	9,48		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			63

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 24,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	16,00,00		
		16,00,00	(-)10,95,19
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			5,87,55

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹44,62.21 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 34,75.66 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹44,62.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹13,18.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	1,57,56.91	1,16,69.91	40,87.00
2014-15	1,92,70.93	1,51,39.69	41,31.24
2015-16	2,18,98.32	1,57,53.13	61,45.19
2016-17	2,59,67.56	2,10,21.30	49,46.26
2017-18	2,71,10.74	2,15,63.47	55,47.27

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 56,00.12

पूरक 8,00.00 56,98.02 56,19.08 (-)78.94

पुनर्वि० (-)7,02.10

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,02.10 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान, अन्य व्यय तथा सब्सिडी में हुई बचत के कारण किये गए।

(2) 07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास

मूल 14,38.65

15,33.34 13,74.33 (-)1,59.01

पूरक 94.69

(3) 09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान

मूल 5,50.00

6,50.00 5,50.00 (-)1,00.00

पूरक 1,00.00

(4) 10 मधु मक्खी पालन की योजना

मूल 47.00

40.95 40.95 0.00

पुनर्वि० (-)6.05

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 6.05 लाख के अभ्यर्पण मजदूरी, छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन तथा वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना			
मूल	48.98		
		43.79	0.00
पुनर्वि०	(-5.19)		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5.19 लाख के अभ्यर्पण मजदूरी तथा सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किये गए			
(6) 18 भेषज कृषि विकास			
मूल	70.00	70.00	(-51.50)
(7) 27 जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान/ओषधियों एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास			
मूल	1,20.00	1,20.00	(-60.00)
(8) 31 मिशन एप्पल योजना			
मूल	1,50.00		
		1,49.19	(-81.99)
पुनर्वि०	(-0.81)		
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.81 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात			
मूल	30.00	30.00	(-30.00)
(2) 21 मिर्च मसाला खेती की योजना हेतु राज्यांश			
मूल	17.00	17.00	(-17.00)
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	22 वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण कि योजना हेतु राज्यांश मूल 15.00	15.00	0.00 (-)15.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(4)	23 एंटी हैल नेट को योजना (25 प्रतिशत राज्यांश) मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना (माल्टा, पहाड़ी निम्बू गलगल आदि) मूल 2,00.00	1,91.00	0.00 (-)1,91.00
	पुनर्वि० (-)9.00		
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर 2018 को ₹ 8.97 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.03 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(6)	29 रंवाई घाटी में उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना मूल 8.20	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)8.20		
	बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 8.20 लाख के सम्पूर्ण प्रवधान अभ्यर्पित किये गए		
(7)	32 भेषज/सगंध की राजकीय नर्सरियो के विकास व संवर्धन की योजना मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(8)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 10,00.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00		
	बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रवधान अभ्यर्पित किये गए		

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(9)	98 नाबार्ड पोषित मूल	5,00.00	
	पुनर्वि०	(-)50.00	
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण बचत के कारण किये गए		
		4,50.00	0.00 (-)4,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 10,95.19 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,87.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
00**

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें
13 राज्य बागवानी उद्यान का सुदृढीकरण
मूल 1,00.00

12.45 12.45 0.00

पुनर्वि० (-)87.55

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 87.55 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए |

- (viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
00**

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें
97 वाहय सहायतित परियोजनाएं

(1)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
-----	-----	----------	----------	------------------

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 98 नाबाई			
मूल	5,00.00		
		0.00	0.00

पुनर्वि० (-)5,00.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे | भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होने के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

(ix) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

04 रोग रहित आलू बीज/कीटनाशकों की लागत

मूल	0.00	0.00	4,92.36	(+)4,92.36
-----	------	------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जल पूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रसार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मत्स्य पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2801	बिजली		
2810	नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	11,34,90,73	12,00,62,34	8,79,54,75	(-)3,21,07,59
पूरक	65,71,61			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				27,05,64

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 4,49,78 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 55,55 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	----------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	3,26,05,96		
		3,31,33,26	2,35,05,53 (-)96,27,73
पूरक	5,27,30		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			31,99,12

अनुदान के पूँजीगत अनुभाग में ₹ 3,82,92 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,21,07.59 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 27,05.64 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 3,21,07.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 65,71.61 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2013-14	6,47,89.74	4,37,88.93	2,10,00.81
2014-15	11,25,38.01	8,55,88.08	2,69,49.93
2015-16	12,70,86.46	7,80,47.80	4,90,38.66
2016-17	12,41,11.21	6,98,90.43	5,42,20.78
2017-18	10,06,20.97	7,61,08.62	2,45,12.35

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

02 माध्यमिक शिक्षा

105 शिक्षकों का प्रशिक्षण

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 1,50.00 1,50.00 72.99 (-)77.01

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 30,00.00 30,00.00 9,56.56 (-)20,43.44

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103 राजकीय कालेज तथा संस्थान

- (3) 03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण
मूल 40.00
32.78 32.78 0.00

पुनर्वि० (-)7.22

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7.22 लाख के अभ्यर्पण मानदेय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, मशीनें एवं सज्जा/ उपकरण एवं सयंत्र तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
	06 लोक स्वास्थ्य				
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण				
(4)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन				
	मूल	10,00.00	10,00.00	1,73.11	(-)8,26.89
	2211 परिवार कल्याण				
	00				
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवार्ये				
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	9,97.93			
			11,04.93	9,36.50	(-)1,68.43
	पूरक	1,07.00			
	2217 शहरी विकास				
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	16,00.00	16,00.00	11,96.11	(-)4,03.89
	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7)	07 एस.सी.पी/टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान				
	मूल	87.25			
			97.75	68.81	(-)28.94
	पूरक	10.50			
(8)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय				
	मूल	80.63	80.63	49.79	(-)30.84

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 आर्थिक विकास			
(9) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			
मूल	13.17	13.17	7.32
			(-)5.85
(10) 06 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन			
मूल	95.00		
		1,68.50	68.75
पूरक	73.50		(-)99.75
277 शिक्षा			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,70,95.00		
		1,81,63.50	35,74.52
पूरक	10,68.50		(-)1,45,88.98
(12) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
मूल	3,31.33		
		3,32.33	2,57.55
पूरक	1.00		(-)74.78
(13) 06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
मूल	6,03.31	6,03.31	3,64.32
			(-)2,38.99
(14) 07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना			
मूल	82.50	82.50	6.69
			(-)75.81
(15) 12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
मूल	2,96.87		
		2,97.87	2,51.19
पूरक	1.00		(-)46.68
(16) 16 कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
मूल	20,00.00		
		24,94.80	9,33.84
पूरक	4,94.80		(-)15,60.96

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(17)	18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना मूल	1,67.42	1,67.42	1,17.12	(-)50.30
(18)	19 पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं हेतु सहायता मूल	1,37.00			
	पूरक	68.62	2,05.62	1,46.11	(-)59.51
(19)	283 भवन 02 अटल आवास योजना मूल	5,00.00	5,00.00	1,61.93	(-)3,38.07
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
	02 रोजगार सेवाएं				
	101 रोजगार सेवार्यें				
(20)	02 शिक्षण एवं मार्ग दर्शनों केन्द्रों की स्थापना मूल	71.06			
	पूरक	1.95	73.01	55.34	(-)17.67
	03 प्रशिक्षण				
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(21)	02 अनुसूचित जातियों का कल्याण मूल	3,79.00	3,79.00	2,12.95	(-)1,66.05
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
	02 समाज कल्याण				
	102 बाल कल्याण				
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	48,61.99			
	पूरक	2,44.36	51,06.35	26,91.62	(-)24,14.73

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(23)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	22,66.00	22,66.00	6,38.72 (-)16,27.28
	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(24)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,45.00	5,45.00	1,89.84 (-)3,55.16
	2401 फसल कृषि कर्म			
	<i>00</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(25)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	46,17.00		
	पूरक	17,26.00	50,20.46	43,48.82 (-)6,71.64
	पुनर्वि०	(-)13,22.54		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को ₹ 33.34 लाख, दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 5.41 लाख, दिनांक 28 मार्च 2019 को ₹ 40.76 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 12,43.03 लाख की कमी सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।			
	2403 पशु पालन			
	<i>00</i>			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
(26)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,81.26		
	पूरक	61.22	2,49.78	1,84.41 (-)65.37
	पुनर्वि०	7.30		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 7.30 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात् ₹ 65.37 लाख का अंतिम बचत प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(27)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	4,20.00	4,20.00
			3,46.19
			(-)73.81
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(28)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,11.55	2,11.55
			76.98
			(-)1,34.57
(29)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण		
	मूल	1,70.01	1,70.01
			1,37.88
			(-)32.13
102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(30)	04 बांस तथा बायोफयूल प्रजातियों का रोपण		
	मूल	70.00	70.00
			42.00
			(-)28.00
04 वन रोपण तथा परिस्तिथिकी विकास			
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा परिस्तिथिकी विकास कार्यक्रम			
(31)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	6,50.03	6,50.03
			1,41.69
			(-)5,08.34
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
003 प्रशिक्षण			
(32)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	70,39.20	
	पूरक	2,00.00	59,39.20
	पुनर्वि०	(-)13,00.00	56,07.76
			(-)3,31.44
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को ₹ 13,00.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
102 सामुदायिक विकास			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(33)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	21,34.20		
	पूरक	8,00.00	16,40.41	16,06.21
	पुनर्वि०	(-)12,93.79		(-)34.20
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को ₹ 12,93.79 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 5,00.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)5,00.00

भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होने के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए |

2203 तकनीकी शिक्षा

00

112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(2) 03 पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान

मूल 1,45.50 1,45.50 0.00 (-)1,45.50

(3) 04 इंजी० कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान

मूल 20.00 20.00 0.00 (-)20.00

वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(4) 05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़ दौड़ी को सहायता अनुदान (पौड़ी)

मूल 20.00 20.00 0.00 (-)20.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	70.00	70.00
		0.00	(-)70.00
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(6)	03 नगरों का समेकित विकास		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	(-)1,00.00
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
102 आर्थिक विकास			
(7)	08 सफाई कर्मचारी को सीवर एवं सेफ्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु होने पर अनुदान		
	मूल	20.00	20.00
		0.00	(-)20.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
2403 पशु पालन			
00			
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	40.00	
		32.70	0.00
			(-)32.70
पुनर्वि० (-)7.30			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को ₹ 7.30 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

(1) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल 15,10.01

16,27.14 15,38.88 (-)88.26

पुनर्वि० 1,17.13

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2019 को ₹ 1,17.13 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2401 फसल कृषि कर्म

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 10,23.00

पूरक 48.41 11,45.50 11,10.37 (-)35.13

पुनर्वि० 74.09

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को ₹ 33.34 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2019 को ₹ 40.76 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

114 तिलहन विकास

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 11.00

16.41 16.41 0.00

पुनर्वि० 5.41

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 5.41 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.01		
		25,93.80	25,93.79
			(-)0.01

पुनर्वि० 25,93.79

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को ₹ 25,93.79 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

**पूजीगत:
दत्तमत-**

(vii) ₹96,27.73 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 31,99.12 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(viii) ₹96,27.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹5,27.30 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(ix) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	5,41,25.81	2,40,31.47	3,00,94.34
2014-15	5,67,29.30	2,67,61.75	2,99,67.55
2015-16	3,12,68.66	1,77,91.75	1,34,76.91
2016-17	3,25,23.18	2,07,27.58	1,17,95.60
2017-18	3,06,23.93	2,44,35.21	61,88.72

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	22,00.00			

पुनर्वि० (-)20,84.08

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 20,84.08 लाख के अभ्यर्पण पूजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
202 माध्यमिक शिक्षा			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	25,00.00		
		28,00.00	2,34.00
पूरक	3,00.00		(-)25,66.00
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल आपूर्ति			
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(3) 02 हैण्ड पम्पों की स्थापना			
मूल	3,00.00	3,00.00	2,58.36
			(-)41.64
02 मल-जल तथा सफाई			
105 स्वच्छता सेवाएँ			
(4) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	30,00.01		
		22,48.52	19,02.37
पुनर्वि०	(-)7,51.49		(-)3,46.15
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2018 को ₹ 7,51.49 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए ।			
4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(5) 04 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संवर्धन			
मूल	1,00.00	1,00.00	85.47
			(-)14.53
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(6) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	23,10.00	23,10.00	17,75.06
			(-)5,34.94
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनाएं			
800 अन्य व्यय			
(7) 02 अन्य रख-रखाव व्यय			
मूल	1,00.00	1,00.00	51.66
			(-)48.34

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
800 अन्य व्यय			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	15,00.00	
		7,20.00	7,56.29 (+)36.29
	पुनर्वि०	(-)7,80.00	
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,80.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश का प्राप्त न होना बताया गया		
(9)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	2,00.00	
		99.09	99.09 0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.91	
	दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.91 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना का कार्यान्वयन न होना बताया गया		
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(10)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	1,00.00	1,00.00 72.52 (-)27.48
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
800 अन्य व्यय			
(11)	03 देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रहित प्रशिक्षण मूल	30.00	30.00 13.96 (-)16.04
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(12)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	10,42.00	10,42.00 1,19.30 (-)9,22.70
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>		
	201 प्रारम्भिक शिक्षा		
(1)	02 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	1,00.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)	0.00
	बचत के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये गए		
	202 माध्यमिक शिक्षा		
(2)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	2,50.00	2,50.00
		0.00	(-2,50.00)
	<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>		
	104 बहुशिल्प		
(3)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-50.00)
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान		
(4)	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-50.00)
	वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-50.00)
	<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>		
	102 खेलकूद स्टेडियम		
(6)	03 इंडोर हाल व होस्टल का निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	(-1,00.00)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00 वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(8)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
277 शिक्षा			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 10,00.00 10,00.00 0.00 (-)10,00.00 वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(10)	05 अनुसूचित जाति के बालकों/बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण मूल 2,00.00 2,00.00 0.00 (-)2,00.00 वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04 नलकूपों का निर्माण			
800 अन्य व्यय			
(11)	02 अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 (-)1,00.00		
4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12) 97 वाह्य सहायतित परियोजना			
मूल	5,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-5,00.00)		0.00
पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की कमी निवेश/ऋण में हुई बचत के कारण किये गए			

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

(13) 04 पर्यटन विकास की नई योजनायें (राज्य क्षेत्र)				
मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	22,00.00			
पूरक	2,27.30	31,78.79	31,78.79	0.00
पुनर्वि०	7,51.49			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2018 को ₹ 7,51.49 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(2) 04 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंश पूंजी				
मूल	4,00.00			
		9,00.00	9,00.00	0.00
पुनर्वि०	5,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जल पूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रसार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2810	वैकल्पिक ऊर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	3,37,63,24	3,63,87,92	2,41,78,87	(-)1,22,09,05
पूरक	26,24,68			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)				25,20,70

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,29,88 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 73,34 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागारण पर पूँजीगत व्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	1,39,40,60		
		1,51,17,59	97,09,35 (-)54,08,24
पूरक	11,76,99		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2019)			12,83,47

अनुदान के पूँजीगत अनुभाग में ₹ 15,73,37 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

**राजस्व:
दत्तमत-**

- (i) ₹ 1,22,09.05 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 25,20.70 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 1,22,09.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹ 26,24.68 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	1,91,48.57	1,32,49.96	58,98.61
2014-15	2,94,23.92	1,98,65.23	95,58.69
2015-16	3,12,91.70	1,95,06.70	1,17,85.00
2016-17	3,44,48.80	2,06,33.71	1,38,15.09
2017-18	3,15,42.40	2,25,08.42	90,33.98

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 6,00.00

4,36.90 4,36.90 0.00

पुनर्वि० (-)1,63.10

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1,63.10 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई |

800 अन्य व्यय

- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 30,00.01

10,88.56 10,88.56 0.00

पुनर्वि० (-)19,11.45

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 19,11.45 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>			
	800 अन्य व्यय			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	8,20.00	8,20.00	1,54.19 (-)6,65.81
(4)	03 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मूल	1,00.00	1,32.28	1,00.00 (-)32.28
	पूरक	32.28		
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	<i>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति</i>			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	20,00.00	20,00.00	8,68.83 (-)11,31.17
(6)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	80.47		
	पूरक	87.75	2,39.22	1,41.77 (-)97.45
	पुनर्वि०	71.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2018 को ₹ 71.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ₹ 97.45 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।			
(7)	05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल	19.79	24.79	14.37 (-)10.42
	पूरक	5.00		
	<i>04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ</i>			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(8)	05 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना मूल	29.88	29.88	23.93 (-)5.95

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
<i>101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण</i>			
(9)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पी.पी.पी.		
	मूल 2,00.00		
		1,29.00	36.44
	पुनर्वि० (-)71.00		(-)92.56
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2018 को ₹ 71.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
2211 परिवार कल्याण			
<i>00</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 3,49.11		
		3,99.61	2,67.62
	पूरक 50.50		(-)1,31.99
2217 शहरी विकास			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
<i>800 अन्य व्यय</i>			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 50.00	50.00	13.04
			(-)36.96
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
<i>001 निदेशन तथा प्रशासन</i>			
(12)	02 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन		
	मूल 2,50.58	2,50.58	2,11.39
			(-)39.19
(13)	04 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान		
	मूल 51.84	51.84	29.82
			(-)22.02
(14)	05 जनजाति सलाहकार परिषद		
	मूल 25.11	25.11	12.18
			(-)12.93

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	102 आर्थिक विकास				
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	18,00.00	18,00.00	11,01.16	(-)6,98.84
(16)	02 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना				
	मूल	59.02			
	पूरक	8.92	67.94	53.66	(-)14.28
(17)	05 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाएं				
	मूल	50.00	50.00	1.73	(-)48.27
(18)	06 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास				
	मूल	80.00	80.00	16.77	(-)63.23
	277 शिक्षा				
(19)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	38,54.45			
	पूरक	2,00.00	40,54.45	7,90.06	(-)32,64.39
(20)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास तथा रखरखाव				
	मूल	1,72.97			
	पूरक	2.00	1,74.97	1,42.23	(-)32.74
(21)	04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव				
	मूल	25,75.80			
	पूरक	1,21.68	26,97.48	23,56.61	(-)3,40.87
(22)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति				
	मूल	3,50.00	3,50.00	81.66	(-)2,68.34

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(23)	06 राजकीय ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	5,72.73		
	पूरक	6.00	5,78.73	4,36.82 (-)1,41.91
(24)	08 गौर देवी कन्या धन योजना मूल	3,00.00	3,00.00	2,01.25 (-)98.75
(25)	283 भवन 02 अटल आवास योजना मूल	3,00.00	3,00.00	18.31 (-)2,81.69
(26)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	8,40.00	8,40.00	7,18.77 (-)1,21.23
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
02 रोजगार सेवाएं				
(27)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 शिक्षण/मार्ग दर्शन केंद्र की स्थापना मूल	85.65	85.65	42.17 (-)43.48
(28)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र मूल	30.37	30.37	24.82 (-)5.55
03 प्रशिक्षण				
(29)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना मूल	2,23.50	2,23.50	1,20.65 (-)1,02.85
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02 समाज कल्याण				
(30)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	18,08.53		
	पूरक	93.31	19,01.84	10,91.96 (-)8,09.88

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(31)	03 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान मूल 8,45.10	7,62.77	5,63.05 (-)1,99.72
	पुनर्वि० (-)82.33 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2018 को ₹ 82.33 लाख की कमी पेंशन/आनुतोषिक में हुई बचत के कारण किये गए		
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
(32)	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 2,32.10	2,32.10	79.12 (-)1,52.98
	2401 फसल कृषि कर्म 00		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 8,54.00 पूरक 50.00 पुनर्वि० (-)1,84.12	7,19.88	6,67.57 (-)52.31
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2018 को ₹ 31.96 लाख, दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 1.40 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹1,50.76 लाख की कमी सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(34)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 केन्द्रपोषित कैटिलिटिक योजना मूल 98.00	98.00	85.95 (-)12.05
(35)	31 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना मूल 1,20.00	80.00	80.00 0.00
	पुनर्वि० (-)40.00 दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 40.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2404 डेरी विकास			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(36)	01 डेयरी विकास		
	मूल	20.00	20.00
			10.74
			(-)9.26
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(37)	04 बहुउद्देशीय वृक्षरोपण एवं वनों का संरक्षण		
	मूल	90.00	90.00
			67.55
			(-)22.45
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
00			
103 हथकरघा उद्योग			
(38)	05 थारू, बोकस एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना		
	मूल	50.00	50.00
			25.00
			(-)25.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) से (34) और (36) से (38) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
800 अन्य व्यय			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,50.00	
			0.00
			0.00
			0.00
	पुनर्वि०	(-)2,50.00	
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होना बताया गया।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2217 शहरी विकास			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	90.00	90.00	0.00 (-)90.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(3) 03 नगरों का समेकित विकास			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
277 शिक्षा			
(4) 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 11 बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(6) 12 थारू जनजाति हेतु चेतक प्रोत्साहन योजना			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(7) 10 दीन दयाल उत्तराखंड ग्रामीण विकास योजना			
मूल	7.20	7.20	0.00 (-)7.20

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(8)	11 पिछड़ा क्षेत्र हेतु अनुदान निधि मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

105 खादी ग्रामोद्योग

(9)	01 अनुसूचित जनजाति उप योजना मूल 22.00	22.00	0.00 (-)22.00
वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) से (9) तक सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

796 जनजाति क्षेत्र उप योजना

(1)	07 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान मूल 3,81.00	4,63.33	4,47.43 (-)15.90
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------

पुनर्वि० 82.33

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2019 को ₹ 82.33 लाख की वृद्धि पेंशन/आनुतोषिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | ₹ 15.90 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019) |

2401 फसल कृषि कर्म

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,63.00		
	पूरक	70.00	2,64.96	2,63.21
	पुनर्वि०	31.96		(-)1.75
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2018 को ₹ 31.96 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ₹ 1.75 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2019)			
(3)	114 तिलहन विकास			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2.00		
			3.40	3.40
	पुनर्वि०	1.40		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2019 को ₹ 1.40 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	003 प्रशिक्षण			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,07.20		
			7,70.42	7,70.42
	पुनर्वि०	1,63.22		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 1,63.22 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
पूँजीगत:				
दत्तमत-				
(vii)	₹54,08.24 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 12.83.47 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके			
(viii)	₹54,08.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2018 को प्राप्त ₹11,76.99 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2013-14	1,40,38.97	58,79.13	81,59.84
2014-15	1,63,12.48	1,20,75.04	42,37.44
2015-16	1,17,20.32	55,68.66	61,51.66
2016-17	1,19,11.78	59,27.08	59,84.70
2017-18	1,09,16.63	72,51.67	36,64.96

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 7,00.00

13.98 13.97 (-)0.01

पुनर्वि० (-)6,86.02

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 6,86.02 लाख के अभ्यर्पण पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।

202 माध्यमिक शिक्षा

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 5,62.00

6,84.00 70.11 (-)6,13.89

पूरक 1,22.00

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

02 मल-जल तथा सफाई

105 स्वच्छता सेवाएँ

(3) 01 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना
मूल 8,00.01

8,00.01 73.58 (-)7,26.43

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
<i>277 शिक्षा</i>			
(4)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			39.73
			(-1,60.27)
<i>800 अन्य व्यय</i>			
(5)	03 अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में मौलिक सुविधाओं का विकास		
	मूल	3,00.00	3,00.00
			2,38.86
			(-61.14)
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(6)	02 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			33.65
			(-1,66.35)
(7)	03 मेरा गाँव, मेरी सड़क		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			13.70
			(-86.30)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>04 नलकूपों का निर्माण</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(8)	03 नलकूपों का निर्माण		
	मूल	70.00	70.00
			16.45
			(-53.55)
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
<i>800 अन्य व्यय</i>			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	7,00.00	
			1,88.00
			1,07.67
			(-80.33)
	पुनर्वि०		(-5,12.00)
दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 5,12.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होना बताया गया			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

04 जिला तथा अन्य सड़कें

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(10) 01 नया निर्माण कार्य

मूल 30.00

0.60 0.01 (-)0.59

पुनर्वि० (-)29.40

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 29.40 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए |

(11) 02 चालू निर्माण कार्य

मूल 50,00.00

पूरक 10,00.00 59,77.94 50,48.26 (-)9,29.68

पुनर्वि० (-)22.06

दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 22.06 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए |

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

05 पारेषण एवं वितरण

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(12) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल 1,65.00 1,65.00 18.84 (-)1,46.16

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2019) |

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(1) 04 प्रादेशिक विकास दल

मूल 10.00 10.00 0.00 (-)10.00

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	03 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(3)	04 नर्सिंग स्कूल की स्थापना मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
	277 शिक्षा		
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
	वर्ष 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00		
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
(5)	05 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान मूल 27.50	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)27.50		
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे । दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 27.50 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना का कार्यान्वयन न होना बताया गया ।		
4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
	05 पारेषण एवं वितरण		
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	1,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-),00.00		
पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान को कमी निवेश/ऋण में हुई बचत के कारण किये गए			

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(7) 03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान				
मूल	10.00	10.00	0.00	(-),00.00
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4) तथा (6) एवं (7) पर सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

04 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंश पूंजी

मूल	1,00.00			
		2,00.00	2,00.00	0.00

पुनर्वि० 1,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2018-2019 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	06	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	18,19
2	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	12,50,22
3	07	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	1,29,74
4	10	2055- पुलिस	10,35,00
5	10	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,00
6	11	2202- सामान्य शिक्षा	2,20
7	12	2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,56,00
8	13	2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	16,00,00
9	13	2217- शहरी विकास	13,99
10	17	2401- फसल कृषि कर्म	12,16,00
11	17	6401- फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	10,00,00
12	19	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	18,68,96
13	20	2702 - लघु सिंचाई	1,68,99
14	23	2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	81,00
15	24	3055- सड़क परिवहन	9,63,00
16	29	2401- फसल कृषि कर्म	24,99
17	30	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	4,49,78
18	31	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	1,29,88
योग			1,07,07,94

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
2	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	25,00,00
3	18-सहकारिता
4	20-सिंचाई एवं बाढ़
5	22-लोक निर्माण कार्य
6	25-खाद्य	22,50,00,00
7	29-औद्योगिक विकास	10,00,00
योग		22,85,00,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	5,00,00	...	(+)5,00,00
...	21,36,18	...	(-)3,63,82
...	2,23,43	...	(+)2,23,43
15,42	23,12,19	(+)15,42	(+)23,12,19
...	61,35,36	...	(+)61,35,36
...	4,88,55,99	...	(-)17,61,44,01
...	(-)10,00,00
15,42	6,01,63,15	(+)15,42	(-)16,83,36,85

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (viii), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2018-19	31 मार्च 2019 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)83,22.22	(+)5.58	(-)0.66	(+)4.92	6.44	(+)83,20.70
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)8.88	(+)9.98	...	(+)9.98	8.98	(-)7.88
कार्यशाला उचंत	(+)4,36.51	(+)4,36.51
योग	(+)87,49.85	(+)15.56	(-)0.66	(+)14.90	15.42	(+)87,49.33
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xv), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2018-19	31 मार्च 2019 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)2,68,83.79	(+)21,94.95	(-3.80)	(+)21,91.15	22,13.53	(+)2,68,61.41
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)61,11.05	(+)70.80	(-17.93)	(+)52.87	57.16	(+)61,06.76
योग	(+)3,29,94.84	(+)22,65.75	(-21.73)	(+)22,44.02	22,70.69	(+)3,29,68.17
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
योग	(-)7.82	(-)7.82
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)4,97.76	(+)57.92	(-0.27)	(+)57.65	41.46	(+)5,13.95
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	(-)13.66
कार्यशाला उचंत
योग	(+)4,84.10	(+)57.92	(-0.27)	(+)57.65	41.46	(+)5,00.29

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xv), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदि शेष (नामे+) (जमा-)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2018-19	31 मार्च 2019 को अंत शेष (आदि +निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 1,61,06.07	(+) 30,05.39	(-) 0.51	(+) 30,04.88	34,37.24	(+) 1,56,73.71
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,57,47.85	(+) 32,34.53	(-) 7.74	(+) 32,26.79	26,98.13	(+) 2,62,76.51
योग	(+) 4,18,53.92	(+) 62,39.92	(-) 8.25	(+) 62,31.67	61,35.37	(+) 4,19,50.22

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>

www.censer.in (M) 9810213218